# विधान प्रबोधनी

मासिक अंक -4 जून, 2026

## पर्यावरण संरक्षण विशेष

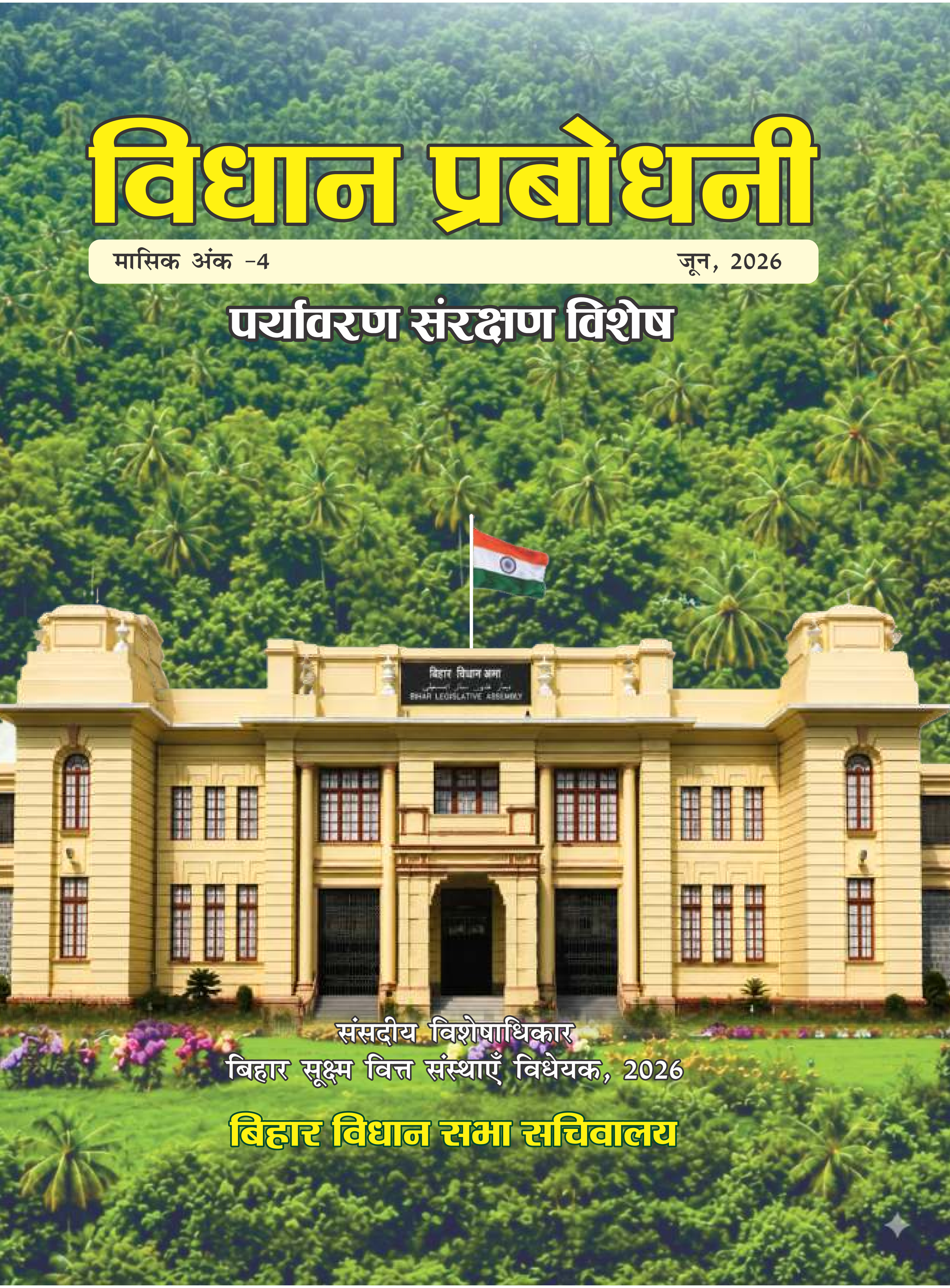


संसदीय विशेषाधिकार

बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ विधेयक, 2026

## बिहार विधान सभा सचिवालय

खिजरसराय, गया जी में एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केन्द्र के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, माननीय अध्यक्ष डॉ0 प्रेम कुमार, माननीय केन्द्रीय मंत्री, श्री जीतन राम मांझी एवं अन्य महानुभाव

बिहार विधान सभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधि के साथ माननीय अध्यक्ष, डॉ0 प्रेम कुमार

## प्रेरक प्रसून

**डॉ० प्रेम कुमार**
**अध्यक्ष**
**बिहार विधान सभा**

> पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसहभागिता पर आधारित एक सतत सामाजिक अभियान है और यह तभी सार्थक होगा जब यह जन-आंदोलन का रूप धारण करेगा।

# पर्यावरणीय चेतना को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका

मानव सभ्यता का अस्तित्व प्रकृति की गोद में पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है। हमारी संस्कृति, जीवन-पद्धति और विकास की यात्रा सदैव प्रकृति के संरक्षण एवं उसके साथ सामंजस्य पर आधारित रही है। किंतु वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, हीट वेव तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियां संपूर्ण विश्व के समक्ष गंभीर चिंता का विषय बनकर उभरी हैं। बिहार भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक दायित्व होने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी बन गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान, पर्यावरण संरक्षण को भावनात्मक संवेदना से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। माँ के सम्मान में लगाया गया एक पौधा केवल वृक्ष नहीं, बल्कि जीवन, संस्कार और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। यदि प्रत्येक नागरिक इस अभियान से जुड़ जायें, तो हरित भारत और हरित बिहार का सपना शीघ्र साकार हो सकता है।

बढ़ती गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए ''बीट द हीट'' जैसे जन-जागरूकता अभियान आज अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं। जल संरक्षण, हरित आवरण का विस्तार, ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपनाकर ही हम इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसहभागिता पर आधारित एक सतत सामाजिक अभियान है और यह तभी सार्थक होगा जब यह जन-आंदोलन का रूप धारण करेगा।

बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा पर्यावरणीय चेतना को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि समाज और शासन के बीच एक सशक्त सेतु होते हैं। वे अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, स्वच्छता, जैव विविधता तथा पर्यावरण-अनुकूल विकास कार्यों को बढ़ावा देकर जन-जागरूकता का विस्तार कर सकते हैं। पंचायतों, नगर निकायों तथा विधानमंडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की भावना को जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि ''विधान प्रबोधनी'' के इस अंक में प्रकाशित रचनाएं एवं पाठ्य सामग्रियां पाठकों को पर्यावरण संरक्षण, योग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएंगे। पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन हेतु मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

**( डॉ० प्रेम कुमार )**
**अध्यक्ष**
**बिहार विधान सभा**

# सम्पादकीय

**संजय कुमार सिंह**
संयुक्त निदेशक
बिहार विधान सभा

लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं, बल्कि जन-सहभागिता, उत्तरदायित्व और लोककल्याण की सतत प्रक्रिया है। बिहार की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा हमें सदैव जनहित, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है।

बिहार में सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं संसदीय विशेषाधिकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक एवं विधिक शक्तियाँ प्रदान करता है, जो सदन के विधायी कार्यों को स्वतंत्र एवं निर्बाध संचालन में सहायता प्रदान करता है।

स्वस्थ समाज के निर्माण में खाद्य सुरक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाद्य अपमिश्रण जैसी चुनौतियाँ जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जागरूक नागरिक, उत्तरदायी प्रशासन और प्रभावी नियमन के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान संभव है। इसके साथ ही यह अंक मिथिला की सांस्कृतिक चेतना के अमर महाकवि विद्यापति को भी समर्पित है। उनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य और लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। इसी क्रम में जिला विशेष के अंतर्गत दरभंगा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का परिचय भी इस अंक की विशेष उपलब्धि है।

आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती बन चुका है। "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान प्रकृति संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रेरक प्रयास है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है। इसी प्रकार योग दिवस स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है। योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का ऐसा अमूल्य उपहार है, जिसने विश्व को स्वास्थ्य और आत्मानुशासन का मार्ग दिखाया है।

"विधान प्रबोधिनी" का यह अंक समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े विविध विषयों को समाहित करते हुए पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

अंत में, "विधान प्रबोधिनी" के इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले संपादक मंडल के सभी सदस्यों, लेखकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके परिश्रम और रचनात्मक सहयोग से यह प्रकाशन इस स्वरूप में संभव हो सका है।

**( संजय कुमार सिंह )**
संयुक्त निदेशक
बिहार विधान सभा

# विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-4 जून-2026

**मुख्य संरक्षक : डॉ० प्रेम कुमार,** अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

**संरक्षक : नरेन्द्र नारायण यादव,** उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

**मार्गदर्शक : पूनम सिन्हा,** प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

**संपादक मंडल**

**प्रधान संपादक**
**संजय कुमार सिंह**
संयुक्त निदेशक, बिहार विधान सभा

**वरिष्ठ संपादक**
**राम कुमार यादव**
उप सचिव, बिहार विधान सभा

**संपादक**
**प्रज्ञाग्नि**
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

**संपादन संयोजक**

**संदीप कुमार राय**
आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

**अमर कुमार झा**
आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

**राजीव रंजन**
प्रशाखा पदाधिकारी
अध्यक्षीय कार्यालय, बिहार विधान सभा

**संपादन सलाहकार**

**नन्द किशोर सिंह** | **संदीप कुमार** | **रणविजय रौशन**

**शोध / संदर्भ**

**धनंजय कुमार**
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

**राजीव रंजन**
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

**पंकज कुमार**
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

**कला संयोजन**

**निलेश कुमार** | **प्रदीप कुमार राय** | **अनिकेत राज**

**छायाकार**

**हरेन्द्र कुमार पाल** | **ललित नारायण पासवान** | **अभिजीत राज**

**संपादकीय कार्यालय**
पत्रिका प्रकाशन शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना
ईमेल : patrikabvs2021@gmail.com
Mob. : 9740400166
प्रकाशक : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

**'विधान प्रबोधनी'** पत्रिका के प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों/संस्थाओं के स्वयं के हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की इसमें सहमति आवश्यक नहीं है।

**'विधान प्रबोधनी''** पत्रिका के संबंध में पाठकगण का विचार एवं सुझाव पत्र तथा ई-मेल के माध्यम से सादर आमंत्रित हैं।

मुद्रक: यूनाईटेड प्रिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोभाइडर
संदलपुर रोड, नियर संदलपुर अखाड़ा, पटना-6, मो.-9334116542

# विषय सूची


| क्र.सं. | विषय | रचनाकार | पृ.सं. |
|---|---|---|---|
| 1. | जन-आकांक्षाओं से विकसित भारत @2047 की ओर | डॉ० प्रेम कुमार | 5-6 |
| 2. | विधायी विमर्श : बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक, 2026 | प्रज्ञाग्नि | 7-10 |
| 3. | बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2026 | पंकज कुमार | 11-14 |
| 4. | आलेख | | |
| | ● संसदीय विशेषाधिकार | शम्भू नाथ यादव, स.वि.स. | 15-20 |
| | ● खाद्य सुरक्षा पर खतरा : खाद्य अपमिश्रण | मीमाँशा चौधरी | 21-22 |
| 5. | विद्यापति : लोकजीवन, प्रेम और भक्ति के अमर कवि | गार्गी मिश्रा | 23-26 |
| 6. | जिला विशेष : दरभंगा | धनंजय कुमार | 27-34 |
| 7. | पर्यावरण संरक्षण :<br>● जनभागीदारी से हरित भारत की ओर<br>● हरित बिहार का आधार - एक पेड़ माँ के नाम अभियान<br>● 'बीट द हीट' - प्रकृति के साथ संतुलित जीवन | राजीव रंजन कुमार | 35-42 |
| 8. | पर्यावरण संरक्षण में गाँव की भूमिका | नन्द किशोर सिंह | 43 |
| 9. | नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बढ़ती संभावनाएं | संदीप कुमार | 44 |
| 10. | 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह | प्रभाकर कुमार पंकज | 45-46 |
| 11. | नशामुक्त समाज : सामूहिक संकल्प | राकेश कुमार-II | 47 |
| 12. | समाचार-पत्रों की नजर से... | नीलेश कुमार | 48-49 |
| 13. | कविता | विलोक रंजन<br>नन्द किशोर सिंह | 50 |
| 14. | बिहार विधान सभा में : विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष का शुभारंभ | राजीव रंजन | 51 |
| 15. | एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केन्द्र का शिलान्यास | संदीप कुमार सिन्हा | 52 |
| 16. | नैनीताल भ्रमण | | 52 |
| 17. | झलक | सौरभ श्रीवास्तव | 53-56 |

साभार : प्रभात खबर हिन्दी दैनिक दिनांक–13.06.2026 संस्करण

# जन–आकांक्षाओं से विकसित भारत @2047 की ओर

**डॉ० प्रेम कुमार**
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करना केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की जनता द्वारा विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर व्यक्त निरंतर विश्वास का प्रतीक भी है। पिछले वर्षों में भारत ने आधारभूत संरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन, सामाजिक कल्याण, विज्ञान, रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आधुनिक राजमार्गों, एक्सप्रेस–वे, रेलवे आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों, नए हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण ने विकास की गति को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व में आज देश नक्सल मुक्त हो चुका है एवं देश के दूरस्थ क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में शपथ ग्रहण करने के साथ ही नीतियों में आवश्यक बदलाव कर ऐसी कई योजनाओं को आरंभ किया जिससे आम जन को बुनियादी सुविधाएँ सहज रूप से उपलब्ध हो पायीं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा हर घर जल जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शासन की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने की रही है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में 14 अगस्त, 2014 को आरंभ हुई प्रधानमंत्री जन–धन योजना ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। जन–धन, आधार और मोबाइल के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी) द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया।

डिजिटल भारत की कहानी आज विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू०पी०आई०) ने भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए भारत को डिजिटल लेन–देन का वैश्विक अग्रणी राष्ट्र बना दिया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और नागरिक–केंद्रित बनाया है। इस कालखंड की विशेषता केवल विकास योजनाएँ ही नहीं, बल्कि अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले नीतिगत निर्णय भी रहे हैं। जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के विशेष प्रावधानों को हटाने का निर्णय राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण

कदम साबित हुआ है। इस फैसले से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। लोगों को केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है तथा पर्यटन, निवेश और विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) के लागू होने से देश एकीकृत कर व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है, जिससे व्यापार करना सरल हुआ है और कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के कल्याण के क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग 'वन रैंक, वन पेंशन' को लागू किया गया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन और आधुनिक सैन्य क्षमताओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है । राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अधिक सक्रिय और निर्णायक दृष्टिकोण ने भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत किया है। कानूनी सुधारों की दिशा में ब्रिटिश कालीन दंड व्यवस्था के स्थान पर नए भारतीय आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनी है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पी०एल०आई०) जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण, निर्यात और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। G20 सम्मलेन, 2023 की सफल अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मंच प्रदान करना और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलित नेतृत्व ने भारत को विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश भारत की भविष्य-दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे प्रयासों ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में नई पहचान दी है।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण इस कालखंड की विशिष्ट पहचान बनकर उभरे हैं । राम मंदिर अयोध्या में श्रीराम लला की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एवं महाकाल कॉरिडोर का निर्माण तथा केदारनाथ मंदिर जैसे तीर्थस्थलों का पुनर्विकास भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं । योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों ने भी भारत की सांस्कृतिक शक्ति को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से वर्ष 2015 से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप योग का वैश्विक प्रसार हुआ है । आज योग भारत की सांस्कृतिक विरासत का विश्वव्यापी प्रतीक बन चुका है।

इन सभी प्रयासों का व्यापक लक्ष्य वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" का निर्माण है। स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, तकनीक-संपन्न, नवाचार-प्रधान और सांस्कृतिक गौरव संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प आज राष्ट्रीय लक्ष्य बन चुका है। यह केवल आर्थिक विकास का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जहाँ सुशासन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव, तकनीकी प्रगति और नागरिक सशक्तीकरण एक-दूसरे के पूरक हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे निर्वाचित कार्यकाल की कहानी वस्तुत: उस भारत की कहानी है, जो अपनी प्राचीन सभ्यतागत चेतना को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

# बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026

बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक 2026, राज्य में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के संचालन को विनियमित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। यह विधेयक राज्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके तहत बिना पंजीकरण के सूदखोरी के व्यवसाय को आपराधिक कृत्य माना गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रत्येक जिले में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है। एक अन्य प्रावधान उधारकर्ता द्वारा देय कुल ब्याज को मूलधन के 100 प्रतिशत तक सीमित करता है।

## बिहार में माइक्रोफाइनेंस का कारोबार एवं बढ़ती चिंताएँ

भारत के कुल सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 15-16% (लगभग 450 अरब रुपए से 570 अरब रुपए तक) है। राज्य में अत्यधिक कर्ज, एक ही उधारकर्ता को कई बार ऋण देना और वसूली के लिए कठोर तरीकों के आरोपों को लेकर चिंताएं हैं। राज्य के 12 जिलों में माइक्रो-फाइनेंस ऋण का पोर्टफोलियो 2000 करोड़ से अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए नियुक्त स्व-नियामक संस्था 'साधन' के अनुसार बिहार में 22 करोड़ से अधिक सूक्ष्म वित्त ऋण खाते हैं और राज्य में पहले के ऋणों को चुकाने या घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से ऋण लेना आम बात है।

इसी पृष्ठभूमि में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं, छोटे ऋणदाताओं और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी नियम बनाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है। इसके द्वारा कर्ज लेने वालों को पारदर्शी, सुरक्षित और सम्मानजनक ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा तथा वसूली के नाम पर होने वाली जबरदस्ती, धमकी और सामाजिक अपमान पर रोक लगायी जाएगी।

# विधेयक के प्रावधानों का व्यावसायिक प्रभाव एवं कार्यान्वयन की चुनौतियां

| प्रावधान | व्यावसायिक प्रभाव | कार्यान्वयन की चुनौतियां |
|---|---|---|
| **अनिवार्य पंजीकरण**<br>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पंजीकरण के अतिरिक्त राज्य सरकार के साथ अनिवार्य पंजीकरण | – आमलोगों का ऋणदाताओं पर विश्वास बढ़ेगा<br>– फंडिंग एक्सेस में सुधार संभव<br>– इससे मार्केट एंट्री बैरियर बढ़ेगा जिससे छोटी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। | –पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना होगा और स्पष्ट सत्यापन मानक निर्धारित करने होंगे।<br>–स्थानीय स्तर पर के वल कागजी अनुपालन का जोखिम |
| **ब्याज सीमा**<br>कुल ब्याज–मूलधन | –**यील्ड कम्प्रेशन** (Yield Compression) से कंपनियों के मार्जिन पर दवाब।<br>– प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स को पुनर्निर्धारित करना होगा<br>– लॉस रिकवरी अनुशासन बढ़ेगा। | –विभिन्न शुल्कों/बीमा को कैसे गिना जाएगा। यह एक इंटरप्रिटेशन रिस्क है।<br>– छोटे टिकट लेकिन उच्च ओपेक्स वाले ऋण पर अधिक असर |
| **कम से कम 72 घंटे पूर्व प्री–लोन डिस्क्लोजर**<br>मुख्य शर्तों का पूर्व एवं उधारकर्ता को समझ आनेवाली सामान्य भाषा में खुलासा | – कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मिस सेलिंग घटेगी<br>– सेल्स प्रोसेस में अनुशासन और दस्तावेजीकरण (documentation) बढ़ेगा | – ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट डिलीवरी और समझ सुनिश्चित करना कठिन<br>– बहुभाषी/सरल भाषा मानक की जरूरत |
| **अधिकतम 2 MFI से ही उधार लेने की सीमा** | – क्रेडिट रिस्क कम होगा पर ऋण का वॉल्यूम ग्रोथ धीमा हो सकता है | – रियल टाइम डेटा शेयरिंग के बिना नियम प्रभावी नहीं होगा।<br>– पहचान डुप्लीकेशन की त्रुटियां विवाद बढ़ा सकती हैं। |
| **छोटे ऋणों पर गिरवी/जमानत निषेध**<br>कोलैटरल फ्री ऋण सिद्धांत | – वित्तीय समावेशन को बल, एसेट लॉक का जोखिम घटेगा<br>– संस्थानों को कैश फ्लो अंडर राइटिंग प्रणाली को मजबूत करना होगा | – छोटे ऋण के सीमा का निर्धारण एवं पूर्व से लिए गए कोलैटरल की वापसी में ऑपरेशनल जटिलता<br>– विवादों के निपटान हेतु एसओपी आवश्यक |
| **बलपूर्वक/अपमानजनक वसूली पर रोक**<br>**कंडक्ट रेगुलेशन** | – रेपुटेशन रिस्क घटेगा, दीर्घकाल में कलेक्शन क्वालिटी सुधर सकती है<br>– ट्रेनिंग और एजेंट गवर्नेंस में निवेश बढ़ेगा | – 'क्या दवाब है?' – इसकी एविडेंस और जांच मानक अस्पष्ट हो सकते हैं<br>– फील्ड स्तर पर निगरानी क्षमता निर्णायक |
| **समयबद्ध तरीके से शिकायत का निवारण**<br>हेल्पलाइन का गठन 7 दिनों के अंदर समाधान | – ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ग्राहक जीवन चक्र में रिटेंशन बेहतर हो सकता है<br>– संस्थानों पर सर्विस लेवल दवाब बढ़ेगा | – बड़े स्तर पर क्यू मैनेजमेंट और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की चुनौती<br>– लोकपाल/पुलिस समन्वय में समय लग सकता है |

# बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक–2026 के मुख्य बिन्दु

## सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का अनिवार्य पंजीकरण

धन उधार देने वाली प्रत्येक इकाई को इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है

## पारदर्शिता और प्रकटीकरण दायित्व

प्रभावी ब्याज दर का प्रमुखता से प्रदर्शन एवं ऋण वितरण के कम से कम 72 घंटे पहले एक व्यापक ऋण पूर्व प्रकटीकरण जिसमें सभी निबंधन एवं शर्त वर्णित हों

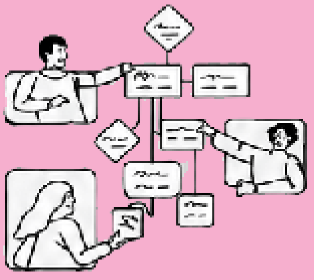

## अत्यधिक उधार पर रोक

दो से अधिक सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ एक ही उधारकर्त्ता को ऋण नहीं दे सकेंगे। साथ ही कोई उधारकर्त्ता एकाधिक एसएचजी का सदस्य नहीं होगा।

## मासिक विवरण एवं वार्षिक रिटर्न

एमएफआई को प्रत्येक माह के 10 तारीख से पहले मासिक विवरण देना होगा जिसमें उधारकर्त्ताओं की सूची, ऋण तथा लिए गए ब्याज का विवरण होगा।

## दबावपूर्ण वसूली पर रोक

एमएफआई कंपनियों द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती या अपमानजनक तरीकों के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी

## ऋण की वसूली में धमकी, अपमान और दबाव पर रोक

विधेयक का सबसे संवेदनशील हिस्सा जबरन वसूली की रोकथाम से जुड़ा है। ऋण वसूली वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वसूली के नाम पर हिंसा, धमकी, अपमान या सामाजिक दबाव स्वीकार्य नहीं है।

**विधेयक निम्न गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाता है:-**

- कर्जदार को धमकाना या डराना
- शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करना
- सार्वजनिक रूप से अपमानित करना
- घर, कार्यस्थल या सामाजिक स्थानों पर अनुचित दबाव बनाना
- शादी, अंतिम संस्कार या अन्य पारिवारिक-सामाजिक आयोजनों में बाधा डालना
- आपराधिक या हिंसक पृष्ठभूमि वाले एजेंटों से वसूली कराना
- बिना पंजीकरण वाली वसूली एजेंसियों का उपयोग करना
- छिपे हुए शुल्क या अनधिकृत वसूली करना
- कानूनी प्रक्रिया के बिना परिवार के सदस्यों या गारंटरों से वसूली का दबाव बनाना

यह प्रावधान माइक्रोफाइनेंस व्यवस्था को सम्मानजनक और मानवीय बनाने की दिशा में बेहद अहम है। कर्ज चुकाने में देरी आर्थिक संकट का संकेत हो सकती है, अपराध का नहीं। इसलिए वसूली का तरीका कानूनसम्मत और गरिमापूर्ण होना चाहिए।

## ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

बिहार में माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव व्यापक है। यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यापारियों, पशुपालन, कृषि-आधारित गतिविधियों, घर-आधारित उद्यमों और दैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सही तरीके से चलने पर माइक्रोफाइनेंस आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बन सकता है। लेकिन नियमों की कमी या कमजोर निगरानी इसे ऋण-जाल में बदल सकती है।

यह विधेयक इसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है। ऋण की उपलब्धता बनी रहे, लेकिन शोषण न हो; ऋणदाता काम कर सकें, लेकिन जवाबदेही से बच न सकें; कर्जदार ऋण लें, लेकिन स्पष्ट शर्तों और गरिमा के साथ।

## महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों पर संभावित प्रभाव

माइक्रोफाइनेंस का बड़ा हिस्सा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा है। समूह आधारित ऋण व्यवस्था में सामाजिक भरोसा और सामूहिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कई बार यही सामूहिक दबाव मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।

सार्वजनिक बैठकों में बकाया किस्तों पर अपमान, समूह से बहिष्कार का डर या घर-परिवार पर सामाजिक दबाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

विधेयक में अपमानजनक और दबावपूर्ण वसूली पर रोक महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। हिंदी में दस्तावेज, ब्याज की स्पष्ट जानकारी, हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था भी समूह सदस्यों को अधिक अधिकार संपन्न बना सकते हैं।

## संतुलित वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम

बिहार माइक्रो फाइनेंस संस्थान विधेयक, 2026 छोटे कर्ज की दुनिया में अनुशासन और मानवीयता लाने का प्रयास है। इसमें पंजीकरण, ब्याज सीमा, ऋण-पूर्व खुलासा, सरल एवं संवेदनशील शर्तों पर ऋण, अधिकतम दो संस्थानों से ही ऋण लेने की सीमा, जबरन वसूली पर रोक, शिकायत तंत्र और दंडात्मक प्रावधान जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं।

यह विधेयक इस विचार को मजबूत करता है कि वित्तीय समावेशन केवल ऋण उपलब्ध कराने का नाम नहीं है। असली वित्तीय समावेशन वह है जिसमें कर्जदार को पूरी जानकारी मिले, ब्याज न्यायसंगत हो, वसूली गरिमापूर्ण हो और शिकायत का रास्ता खुला हो। बिहार जैसे राज्य में, जहां माइक्रोफाइनेंस लाखों परिवारों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा है, यह विधेयक कर्ज-व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

**प्रज्ञाग्नि**
प्रशाखा पदाधिकारी

# बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2026

लोकतंत्र की सफलता केवल जनप्रतिनिधियों के चुनाव से नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाओं से भी तय होती है जो शासन व्यवस्था में अनुभव, निरंतरता और संतुलन बनाए रखें। बिहार उन चुनिंदा राज्यों में है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। यहाँ विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद् भी राज्य की विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विधान परिषद् की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है तथा प्रत्येक दो वर्ष पर लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही कारण है कि परिषद् में विधायी अनुभव और संस्थागत निरंतरता बनी रहती है। विधान परिषद् का निर्वाचन सामान्य चुनावों की तुलना में कम चर्चा में रहता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की एक विशिष्ट एवं परिपक्व व्यवस्था का परिचय देती है।

वर्ष 2026 का बिहार विधान परिषद् निर्वाचन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले बिहार विधान परिषद् के 09 सदस्यों के द्विवार्षिक निर्वाचन के साथ-साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के त्याग-पत्र से रिक्त हुई 01 सीट पर उप निर्वाचन भी सम्पन्न कराया गया। इस प्रकार कुल 10 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुई ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी तथा धारा 39 की उपधारा (1) एवं धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना संख्या 322/बिहार-वि.प./2026-एम.एल.ए.(1), दिनांक 01 जून 2026 द्वारा बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के 09 सदस्यों के द्विवार्षिक निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया। इसी प्रकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के त्याग-पत्र से उत्पन्न रिक्ति को भरने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951 की धारा 151**, धारा 39 की उपधारा (1) एवं धारा 56 के अधीन अधिसूचना संख्या **100/बिहार-वि.प./02/2026-एम.एल.ए.(1), दिनांक 01 जून 2026** द्वारा उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया गया। दोनों अधिसूचनाएँ बिहार सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 554 एवं 555, दिनांक 01 जून 2026 द्वारा प्रकाशित हुईं।

### निर्धारित कार्यक्रम

| चरण | तिथि |
|---|---|
| अधिसूचना जारी | 1 जून 2026 (सोमवार) |
| नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि | 8 जून 2026 (सोमवार) |
| नामांकन पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) | 9 जून 2026 (मंगलवार) |
| नाम वापस लेने की अंतिम तिथि | 11 जून 2026 (गुरुवार) |
| मतदान (यदि आवश्यक हो) | 18 जून 2026 (गुरुवार),<br>प्रात: 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक |
| मतगणना | 18 जून 2026 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) |
| निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की अंतिम तिथि | 20 जून 2026 (शनिवार) |

इस निर्वाचन प्रक्रिया हेतु श्री छोटे पासवान, उप सचिव, बिहार विधान सभा को रिटर्निंग ऑफिसर तथा श्री सुधीर कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया।

विधान परिषद् का चुनाव विधान सभा के चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है। जनता सीधे मतदान नहीं करती। कुल सदस्यों के 1/3 भाग बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर परिषद् के सदस्यों का चुनाव करते हैं। संविधान ने इस निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) तथा एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote-STV) प्रणाली अपनाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की वास्तविक संख्या के अनुसार उन्हें विधान परिषद् में भी प्रतिनिधित्व मिल सके। इस व्यवस्था से छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है और लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है।

| निर्वाचित | सदस्य दल | निर्वाचन का प्रकार |
|---|---|---|
| श्री संजय प्रकाश | भाजपा | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री पवन सिंह | भाजपा | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्रीमती शीला पंडित | भाजपा | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री अनिल ठाकुर | भाजपा | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री निशांत | जद(यू) | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्रीमती भारती मेहता | जद(यू) | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्रीमती शिवरानी देवी | जद(यू) | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री अशरफ अंसारी | लोजपा (रामविलास) | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री सुनील कुमार सिंह | राजद | द्विवार्षिक निर्वाचन |
| श्री ललन प्रसाद | जद(यू) | उप निर्वाचन (श्री नीतीश कुमार के त्याग-पत्र से रिक्त सीट के फलस्वरूप) |

बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2026 की सबसे रोचक बात यह रही कि दस सीटों के लिए केवल दस ही वैध उम्मीदवार मैदान में रहे। नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। परिणामस्वरूप 18 जून, 2026 को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।

वर्ष 2026 के निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से जुड़ी रही। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने 30 मार्च, 2026 को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल अभी शेष था। इस रिक्ति को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने द्विवार्षिक निर्वाचन के साथ ही अलग से उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की।

इस उप निर्वाचन में जनता दल (यू) के श्री ललन प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस प्रकार वर्ष 2026 में एक साथ द्विवार्षिक निर्वाचन और उप निर्वाचन दोनों सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली का उदाहरण है।

### भोजपुर-सह-शाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-

विधान परिषद् के सभी सदस्य एक ही प्रकार से निर्वाचित नहीं होते। इसका एक अच्छा उदाहरण भोजपुर-सह-शाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन है। इस निर्वाचन में विधायक नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान करते हैं। वर्ष 2026 में इस निर्वाचन क्षेत्र से राजद के श्री सोनु कुमार राय निर्वाचित घोषित हुए। इस निर्वाचन का परिणाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अधीन जारी

# बिहार विधान परिषद्, 2026 द्विवार्षिक निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्य

**श्री संजय प्रकाश**
सदस्य, विधान परिषद्
भाजपा

**श्री निशांत**
सदस्य, विधान परिषद्
जद (यू)

**श्री सुनील कु. सिंह**
सदस्य, विधान परिषद्
राजद

**श्री पवन सिंह**
सदस्य, विधान परिषद्
भाजपा

**श्री अशरफ अंसारी**
सदस्य, विधान परिषद्
लोजपा (रामविलास)

**श्रीमती शीला पंडित**
सदस्य, विधान परिषद्
भाजपा

**श्रीमती भारती मेहता**
सदस्य, विधान परिषद्
जद (यू)

**श्री अनिल ठाकुर**
सदस्य, विधान परिषद्
भाजपा

**श्रीमती शिवरानी देवी**
सदस्य, विधान परिषद्
जद (यू)

उप निर्वाचन
**श्री ललन प्रसाद**
सदस्य, विधान परिषद्
जद (यू)
(माननीय श्री नीतीश कुमार के त्याग-पत्र से रिक्त सीट)

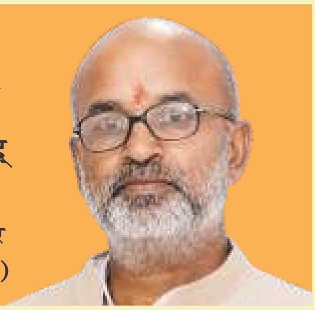

अधिसूचना संख्या **बी०-1-3-63/2026-27, दिनांक 15 मई, 2026** द्वारा बिहार सरकार के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

यह व्यवस्था यह बताती है कि विधान परिषद् की संरचना केवल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भी विधायी प्रक्रिया से जोड़ती है।

यह एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। बिहार विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और नामांकन द्वारा होता है।

**75 सीटों का विस्तृत विभाजन इस प्रकार है:-**

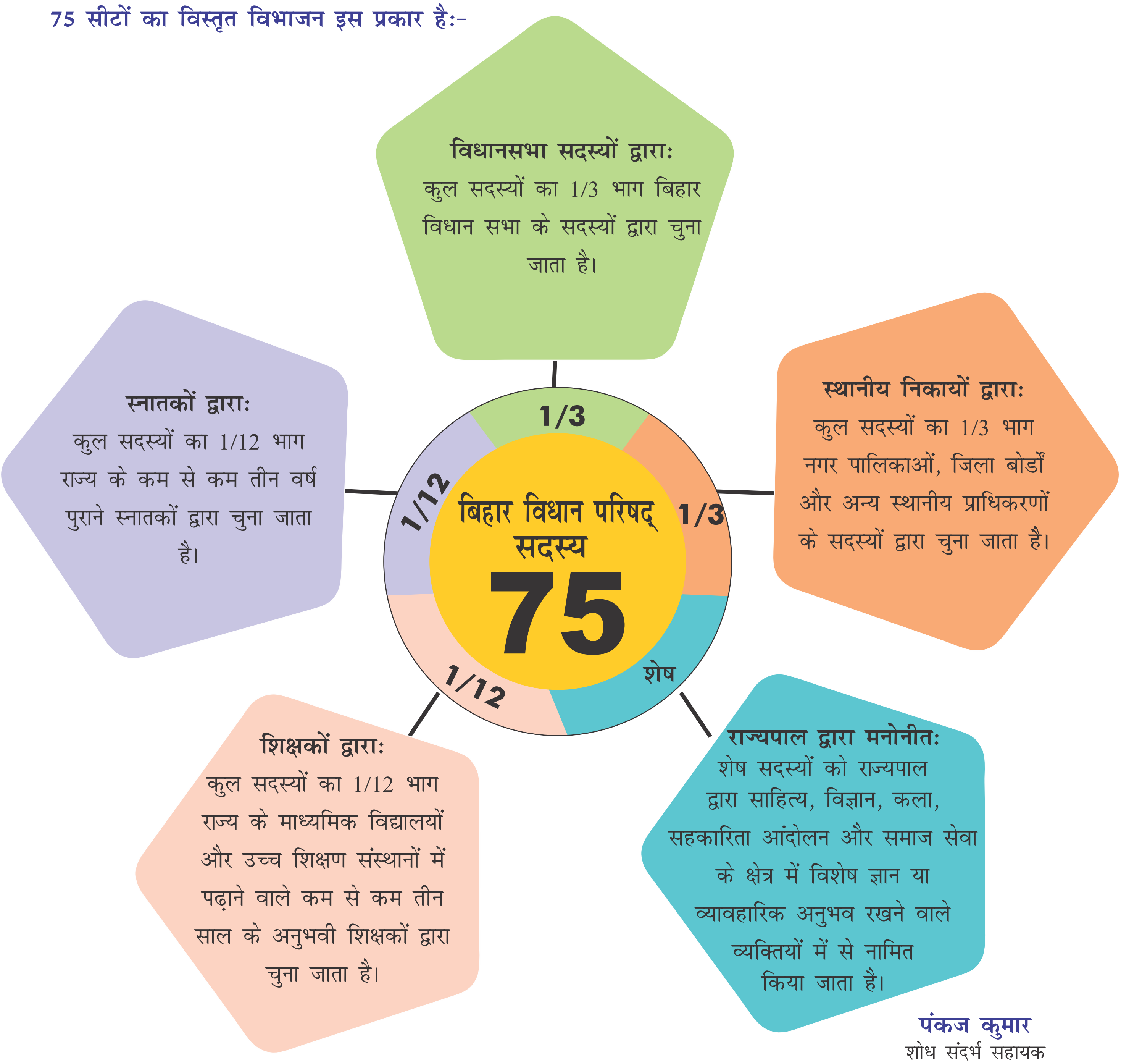


**पंकज कुमार**
शोध संदर्भ सहायक

# संसदीय विशेषाधिकार

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद एवं राज्य विधान मंडल केवल कानून बनाने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि वे जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं के सदस्य जनता की समस्याओं, अपेक्षाओं और हितों को सदन में निर्भीकतापूर्वक रखते हैं। यदि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने अथवा संसदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार का भय, दबाव या बाहरी हस्तक्षेप झेलना पड़े, तो लोकतंत्र की मूल भावना प्रभावित होगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) की व्यवस्था विकसित की गई है।

संसदीय विशेषाधिकार किसी सांसद या विधान मंडल सदस्यों का व्यक्तिगत सम्मान या सुविधा नहीं है, बल्कि यह संसद, विधानमंडलों, उनके सदस्यों तथा समितियों को प्रदान की गई ऐसी संवैधानिक एवं विधिक शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और अधिकार हैं, जिनका उद्देश्य सदन के कार्यों का स्वतंत्र, निर्बाध एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ संसद तथा राज्य विधान मंडल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रमुख स्तंभ हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से जनता की आकांक्षाएँ, समस्याएँ और अपेक्षाएँ शासन तक पहुँचती हैं। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त न कर सकें या उन्हें बाहरी दबावों का सामना करना पड़े, अथवा यदि किसी सदस्य को सदन में कही गई बात के कारण न्यायालयों या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष उत्तरदायी बनाया जाए, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो जाएगा।

संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य किसी सदस्य को कानून से ऊपर स्थापित करना नहीं है, बल्कि संसद एवं विधान मंडलों की स्वतंत्रता, गरिमा तथा कार्यकुशलता की रक्षा करना है।

संसदीय जानकार एवं प्रसिद्ध लेखक कौल एवं शकधर ने संसदीय विशेषाधिकारों को **''ऐसे विशिष्ट अधिकार, जिनके बिना विधायिका अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन नहीं कर सकती''**, के रूप में परिभाषित किया है।

**शम्भू नाथ यादव**
सदस्य
बिहार विधान सभा

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से हुई है। हमारी संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। इतिहासकार फ्रेडरिक बिलियम मेटलैंड की पुस्तक ''द कॉन्सिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड'' और अल्बर्ट फ्रेडरिक पोलार्ड की पुस्तक ''द इवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट'' द्वारा ब्रिटेन के लगभग 400-500 वर्ष पुरानी संसद के इतिहास एवं इसके क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता राजा (Crown) के हाथों में होती थी। उस समय 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' राजा के निकट और प्रभावशाली था, जबकि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों वाला 'हाउस ऑफ कॉमन्स' अपेक्षाकृत कमजोर संस्था थी।

अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 'हाउस ऑफ कॉमन्स' को राजा तथा 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' दोनों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। बाद में 'हाउस ऑफ लार्डस' एवं 'हाउस ऑफ कॉमन्स' मिलकर राजा से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किये। इन्हीं संघर्षों ने संसदीय विशेषाधिकारों की नींव रखी।

**संसदीय विशेषाधिकारों के विकास का इतिहास अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है:-**

- सन् 1512 में इंग्लैंड के एक सांसद को केवल इसलिए

कारावास में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया था जो राजा को पसंद नहीं था। उन्हें लगभग तीन सप्ताह बाद मुक्त किया गया। इस घटना ने सांसदों की स्वतंत्रता के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया।

- इसी प्रकार सन् 1453 में संसद के अध्यक्ष (Speaker) को ही राजस्व न्यायालय द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया क्योंकि अध्यक्ष का अपराध था कि उन्होंने राजा का एक छोटा सा जुर्माना नहीं चुकाया था।
- सन् 1543 में 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के एक सदस्य को ऋण न चुका पाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपना अधिकारी भेजकर उन्हें मुक्त कराया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि संसद अपने सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं करने लगी थी।

इसके पश्चात् एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संसद में कही गई बातों या दिये गए मत के लिए किसी सदस्य को गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। यही सिद्धांत संसदीय वाक्-स्वतंत्रता की आधारशिला बनी।

- सन् 1629 में ब्रिटिश संसद के तीन सदस्य-"एलियट, ओडियन्स तथा बोलेन्टाइन" को देश-द्रोहात्मक भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराया गया। बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया तथा यह तय हुआ कि संसद के भीतर किसी सदस्य द्वारा कही गई बात पर निर्णय केवल संसद ही करेगी, किसी अन्य प्राधिकारी या न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा।

**इन सभी घटनाओं ने संसदीय स्वतंत्रता के विकास को नई दिशा प्रदान की।**

## ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एवं बिल ऑफ राइट्स : संसदीय विशेषाधिकारों की आधारशिला

**'ग्लोरियस रिवॉल्यूशन'** इंग्लैण्ड 1688-89 में घटित संवैधानिक अधिकारों की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई और राजतंत्र संवैधानिक सीमाओं के भीतर आ गया।

**ब्रिटेन की Glorious Revolution, 1688 के पश्चात् वर्ष 1689 में "Bill of Rights" पारित किया गया। इसमें संसदीय वाक्-स्वतंत्रता को विधिक मान्यता प्रदान की गई।**

इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है-

"That the Freedom of Speech, and Debates or Proceedings in Parliament, ought not to be impeached or questioned in any Court or Place out of Parliament."

अर्थात् संसद में दिए गए भाषण या की गई बहस अथवा कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय या संसद के बाहर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

यही वह ऐतिहासिक अवसर था जब संसदीय विशेषाधिकारों को पहली बार स्पष्ट वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस सिद्धांत ने संसद की स्वतंत्रता तथा विधायिका की गरिमा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया।

## भारत में संसदीय विशेषाधिकार

भारत ने संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय परंपरा से ग्रहण की है। भारतीय संविधान ने संसद, राज्य विधान मंडलों, उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों को आवश्यक संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 105 संसद तथा अनुच्छेद 194 राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकारों उन्मुक्तियों एवं शक्तियों का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

### इन प्रावधानों के अनुसार-

- संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात अथवा दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।
- सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किसी प्रतिवेदन, दस्तावेज, मत अथवा कार्यवाही पर भी यही संरक्षण लागू होता है।
- सदन को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन अथवा सदन की अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।
- ब्रिटिश संसदीय परंपरा, जिसे भारत ने भी अपनाया है, के अंतर्गत संसद तथा विधान मंडल सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह है कि किसी सदस्य को संसद/विधान मंडल के सत्र प्रारम्भ होने से 40 दिन पूर्व तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी ब्रिटिश संसद की इस परंपरा को स्वीकार किया गया है। इसका वैधानिक आधार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135 (A) में निहित है। इस धारा के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य, सदन अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जाते समय, बैठक में उपस्थित रहने की अवधि के दौरान तथा वहाँ से लौटते समय, किसी सिविल प्रक्रिया के निष्पादन में गिरफ्तारी से संरक्षित रहता है। हालाँकि, यह संरक्षण केवल सिविल मामलों तक सीमित है। आपराधिक मामलों अथवा निवारक निरोध (Preventive Detention) से संबंधित मामलों में यह विशेषाधिकार लागू नहीं होता।
- एक अन्य विशेषाधिकार है कि संसद या सदन के अहाते में घटित किसी भी घटना की जाँच किसी अन्य प्राधिकार कार्यपालक अधिकारी आदि द्वारा नही की जा सकती।

## न्यायिक हस्तक्षेप पर संवैधानिक सीमा

**न्यायालयों द्वारा संसद एवं विधान मंडल की कार्यवाहियों का जांच न किया जाना-**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 तथा अनुच्छेद 212 के अनुसार न्यायालय क्रमशः संसद या राज्य विधान मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया के किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं कर सकता।

संसद या राज्य विधान मंडल का कोई भी सदस्य सदन या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कहे गए किसी भी कथन या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।

### संसद एवं विधानमंडल द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के विनियमन का अधिकार-

अनुच्छेद 118 एवं अनुच्छेद 208 क्रमशः संसद तथा राज्य विधान मंडलों को अपनी कार्यवाही और कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं।

## विशेषाधिकार हनन की परिस्थितियाँ-

### निम्नलिखित परिस्थितियाँ सामान्यतः विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना मानी जाती है-

- संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी सदस्य पर हमला करना, धमकी देना या दबाव डालना।
- किसी सदस्य को सदन अथवा समिति की बैठक में भाग लेने से रोकना।
- सदन परिसर के भीतर सदस्य को समन जारी करना या गिरफ्तार करना (आपराधिक मामलों को छोड़कर)।
- रिश्वत, प्रलोभन अथवा अनुचित दबाव द्वारा सदस्य के संसदीय कार्य को प्रभावित करना।
- अध्यक्ष या सभापति के वैध आदेशों की अवज्ञा करना।
- संसदीय समिति अथवा सदन के समक्ष जाली, झूठे या भ्रामक दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना।
- सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना या सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला आचरण करना।

भारत में संसदीय विशेषाधिकार संविधान, संसदीय परंपराओं तथा कार्य संचालन नियमों पर आधारित हैं। इनका सही उपयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ करता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विशेषाधिकारों का प्रयोग संयम, उत्तरदायित्व तथा संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो, ताकि जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में निरंतर बना रहे।

इस प्रकार संसदीय विशेषाधिकार केवल सांसदों या विधायकों के अधिकार नहीं हैं, बल्कि वे लोकतंत्र, संसदीय स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता के संवैधानिक संरक्षक हैं।

इसके साथ ही यह भी सत्य है कि सदस्यों के साथ बुरे बर्ताव की घटनाएँ भी सामने आती हैं। लेकिन यहाँ स्पष्टता के साथ इसे समझना होगा कि यह शिष्टाचार या नियम–कानून का विषय है। सरकार द्वारा विभागों या सरकारी संस्थाओं को इस हेतु निदेश होना चाहिए कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं। लेकिन इसे संसदीय विशेषाधिकार से अलग समझने की अवश्यकता है। सदस्यों का विशेषाधिकार सिर्फ यह होता है कि सभा का कार्य सुचारू रूप से चल सके, वह अपने संसदीय कार्यों को बिना किसी रूकावट या बाधा के अपने तरीके से निर्वहन कर सके।

### बिहार विधान सभा में विशेषाधिकार

बिहार विधान सभा की नियमावली में भी विशेषाधिकार समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य सदन की गरिमा बनाए रखना तथा सदस्यों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक संरक्षण प्रदान करना है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 242 से 257 में विशेषाधिकार के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही बिहार विधान सभा में विशेषाधिकार समिति को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली संबंधी नियमावली बनाई गई है, जिसके अनुरूप विशेषाधिकार समिति द्वारा कार्य संपादित किये जाते हैं।

## विशेषाधिकार समिति के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम

247. (1) समिति का गठन–बिहार विधान सभा की एक विशेषाधिकार समिति होगी, जिसका गठन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। समिति में सभापति सहित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे। अध्यक्ष यदि चाहें तो किसी अन्य सदस्य को सभापति मनोनीत कर सकते हैं।

(2) समिति का कार्यकाल–समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा।

248. समिति द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न का परीक्षण- (1) समिति ऐसे हर प्रश्न का परीक्षण करेगी जो उसे सौंपा जाय और हर मामले के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, यह अवधारित करेगी कि उसमें विशेषाधिकार का भंग होता है या नहीं, और यदि होता है, तो इस भंग का स्वरूप क्या है, और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। समिति इस संबंध में ऐसी सिफारिश करेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सदन कौन-सी प्रक्रिया अपनाये।

249. प्रतिवेदन पर विचार-(1) प्रतिवेदन उपस्थापित होने के बाद समिति के सभापति या उसका कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि प्रतिवेदन पर विचार हो और तब अध्यक्ष सदन के सामने प्रश्न रख सकेंगे ।

(2) सदन के सामने प्रश्न रखने के पहले अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुज्ञा दे सकेंगे. जिसकी अवधि अधिक से अधिक आधे घंटे की होगी। ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्योरे का निदेश उतना ही किया जायेगा जितना सदन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो , आगे नहीं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति सभापति या समिति के कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि सदन प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है।

250. समिति के प्रतिवेदन पर विचार के लिए अग्रता-विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय इस प्रस्ताव को वही अग्रता दी जाएगी जो नियम 245 के उप-नियम (1) के अधीन विशेषाधिकार-विषय को दी जाती है बशर्ते कि इसे लाने में अनुचित विलम्ब न हुआ हो।

परन्तु यदि प्रतिवेदन पर विचार के लिए तिथि नियत की जा चुकी हो तो उसे इस प्रकार नियत तिथि को विशेषाधिकार विषय अग्रता दी जाएगी।

251. प्रक्रिया का विनियमन-अध्यक्ष ऐसा निदेश निकाल सकेंगे जो समिति या सदन में विशेषाधिकार प्रश्न के विचार से संबंधित सभी विषयों की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए आवश्यक हो ।

252. शून्य ।

### अध्यक्ष को सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध एवं छुटकारे की सूचना

253. सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी अथवा कार्यपालक या अन्य प्राधिकारी द्वारा अध्यक्ष को किन्हीं सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध आदि की सूचना का दिया जाना-जब किन्हीं सदस्य को किसी अपराधिक आरोप पर या किसी अपराध (फौजदारी जुर्म) के लिए गिरफ्तार किया जाए अथवा न्यायालय द्वारा कारावास (कैद) का दंडादेश दिया जाए अथवा कार्यपालक आदेश के अधीन निरूद्ध किया जाए तथा यथास्थिति: सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालक प्राधिकारी अथवा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति अध्यक्ष को तुरंत इस बात की सूचना देंगे और यथास्थिति, उन सदस्य की गिरफ्तारी निरोध या दोषसिद्धि के कारण और निरोध या कारावास (कैद) का स्थान प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र पर बतायेंगे।

254. अध्यक्ष को सदस्य के छुटकारे की सूचना-जब कोई सदस्य गिरफ्तार किये जायें और दोषसिद्धि के बाद अपील पर्यन्त छोड़ दिये जायें या जमानत पर छोड़ दिए जायें या न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिये जाएँ, तब सम्बद्ध प्राधिकारी अध्यक्ष को इस बात की भी जानकारी प्रथम अनुसूची में दिए गये समुचित प्रपत्र पर देंगे।

255. दंडाधिकारी से प्राप्त संसूचनाओं पर कार्रवाई- नियम 253 या नियम 254 में निर्दिष्ट संसूचना पाने के बाद यथाशीघ्र अध्यक्ष, यदि सभा का सत्र चालू हो तो उसे सभा में पढ़ सुनायेंगे और यदि सभा का सत्र चालू न हो, तो निदेश देंगे कि वह सदस्यों की जानकारी के लिए विवरणिका (बुलेटिन) में प्रकाशित की जाए:

परन्तु यदि जमानत पर या अपील के बाद उन्मुक्त सदस्य के छुटकारे की सूचना, सभा को उस सदस्य की मूल गिरफ्तारी की सूचना दी जाने से पहले ही मिल जाए, तो उनकी गिरफ्तारी या बाद में छुटकारे या उन्मुक्ति की सूचना अध्यक्ष सभा को न भी दे सकेंगे ।

सभा के परिसर में गिरफ्तारी एवं वैध आदेशिका के बारे में प्रक्रिया

256. सभा की परिसीमाओं में गिरफ्तारी-सभा की परिसीमाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

257. वैध आदेशिका-सभा की परिसीमाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी व्यावहारिक अथवा आपराधिक वैध-आदेशिका तामील नहीं की जाएगी ।

# खाद्य सुरक्षा पर खतराः खाद्य अपमिश्रण

भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत हमें संकटपूर्ण एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से सुरक्षा प्रदान की गई है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह नागरिकों के ऐसे अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) के अनुसार ,खाद्य सुरक्षा के चार पहलू हैं -भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए; उपलब्ध भोजन को प्राप्त करने के लिए लोगों के पास आर्थिक और भौतिक साधन होने चाहिए, उपलब्ध भोजन पौष्टिक होना चाहिए और उसका उचित उपयोग होना चाहिए।

### बिहार में खाद्य सुरक्षा-

बिहार में जनसंख्या का घनत्व और कृषि-पारिस्थितिक क्षमता अच्छी है परन्तु कमजोर बाजार सम्पर्क एवं ग्रामीण स्तर पर गरीबी के कारण खाद्य वितरण बहुत जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री न मिलने के कारण यहाँ दीर्घकालिक कुपोषण, बौनापन और अल्पपोषण देखने को मिलता है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के अनुसार भारत में सबसे अधिक अल्प वजन वाले बच्चे बिहार में हैं। बिहार में लगभग 41 प्रतिशत बच्चे अल्प-वजन के शिकार हैं, 43 प्रतिशत बच्चों का कद उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 23 प्रतिशत बच्चों का वजन कद के हिसाब से कम है। एनिमिया के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है जहाँ 15-49 आयु वर्ग की 63.1 प्रतिशत महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया गया पोषण अभियान और एनिमिया मुक्त भारत अभियान इस दिशा में सराहनीय कदम हैं परन्तु स्थानीय स्तर पर इनके बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

**मीमाँशा चौधरी**
प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

खाद्य अपमिश्रण खाद्य सुरक्षा का ही एक पहलू है जिसकी परिभाषा FSSAI के अनुसार, खाद्य पदार्थों में जानबूझकर ऐसे पदार्थों को मिलाना, प्रतिस्थापित करना या हटाना है जो भोजन की प्रकृति एवं गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आजकल दूध में चाक पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट; काली मिर्च में पपीते के बीज; घी में पशुओं के शरीर की वसा; मिर्ची पाउडर में लाल रंग, बालू; हल्दी पाउडर में डाई, रंग आदि मिला दिया जाता है जो कि हृदय सम्बन्धी रोग, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। खाद्य तेल को प्रायः लागत में कटौती के लिये तलने हेतु बार-बार पुनः उपयोग किया जाता है, जिसके सेवन से ट्रांस फैट बनता है, जो हृदय और जठरांत्र संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के अनुसार 24 प्रतिशत भारतीय महिलाएं और 22.9 प्रतिशत भारतीय पुरुष अधिक वजन अथवा मोटापे से ग्रस्त हैं जिसका एक प्रमुख कारण ट्रांस फैट है।

इसी वर्ष 2026 में होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा छापेमारी में 2 टन से भी ज्यादा नकली पनीर, खोआ , दूध, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ गाजियाबाद,

बाराबंकी और कानपुर के विभिन्न हिस्सों में बरामद किये गये। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 3000 किलोग्राम से अधिक मिलावटी चाय पाउडर जब्त किया, जिसमें कृत्रिम रंग, गुड़ का रस और एक्सपायर्ड चाय को मिलाया गया था।

## भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारण

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSI अधिनियम) के अंतर्गत खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित करने एवं सुरक्षित खाद्य पद्धतियों का विकास करने हेतु की गयी थी, को खाद्य सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य उत्पादों का परीक्षण अक्सर उनकी शिकायत आने के बाद किया जाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र के कारखाने, गैर-पंजीकृत दुकानों और अनौपचारिक बाजार द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों का परीक्षण नहीं किया जाता है जिससे ऐसे सामान बाजार में इस स्तर पर मिल जाते हैं कि गुणवत्ता परीक्षण बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में कई खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योगों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उचित स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में उनकी क्षमता में बाधा आती है। भारत में खाद्य उद्योग का लगभग एक तिहाई हिस्सा FSSAI एवं इसके नियमों के बारे में अनभिज्ञ है। प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।

## खाद्य अपमिश्रण का परिणाम

आज के दौर में खाद्य अपमिश्रण के डर से कुछ भारतीय घरों में खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है- स्वयं मसाले पीस कर इस्तेमाल करना, पनीर घर पर बनाना, अनाज सीधा किसान से खरीदना। ऐसी स्थिति में बहुत लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं- ज्यादा पैसे देकर मिलावटी सामान से बचना। शहरों में रहने वाले बहुत लोग अब विश्वसनीय खाद्य उत्पादों के लिए ज्यादा दाम देने को तैयार हैं। विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के नाम पर लोग बड़े ब्रांड पर भरोसा भी करते हैं परन्तु जरूरी नहीं कि हर बड़ा ब्रांड इस भरोसे पर खरा उतरे। यही कारण है कि जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। भारत सरकार जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) का संचालन कर रही है।

चिकित्सकों के अनुसार खाद्य अपमिश्रण एक ज्यादा बड़ा खतरा पैदा करते हैं क्योंकि इसके चलते अचानक स्वास्थ्य खराब होने की जगह दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं जैसे कि लीवर या गुर्दा रोग, मधुमेह, मोटापा, होर्मोनल असन्तुलन आदि।

## खाद्य अपमिश्रण रोकने के उपाय

खाद्य सुरक्षा कानूनों को कठोर ढंग से लागू करने और नियमित निगरानी एवं जन जागरूकता की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्राहक सतर्कता की भी आवश्यकता है- इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जागरूक जांच-FSSAI का लेबल प्रमाणीकरण, सामग्री सूची और समाप्ति तिथि की जांच उपभोक्ता को अपने स्तर से करना आवश्यक है। साथ ही खाद्य उत्पादों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसका एक सफल उदाहरण सुधा, जो कि बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (कॉमफेड) का प्रमुख ब्रांड है।

स्वच्छ एवं स्वस्थ भोजन विकसित भारत के निर्माण में एक अहम कड़ी है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य अपमिश्रण के रोकथाम पर नीति निर्माताओं के स्तर पर गहन चिंतन-मनन की आवश्यकता है।

# विद्यापति : लोकजीवन, प्रेम और भक्ति के अमर कवि

**''मिथिला में विवाह का कोई अवसर हो, सावन की कोई संध्या हो या मंदिर में भक्ति का वातावरण-यदि कहीं विद्यापति के पद गूंज उठें, तो लगता है मानो सात शताब्दियों की सांस्कृतिक परम्परा आज भी उसी जीवंतता के साथ हमारे बीच उपस्थित है। यही किसी कवि की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसकी रचना समय की सीमाओं को लाँघकर लोकजीवन का हिस्सा बन जाए। महाकवि विद्यापति की काव्य-साधना इसी उपलब्धि का उज्ज्वल उदाहरण है।''**

**''देसिल बयना सब जन मिट्ठा''**

- *महाकवि विद्यापति*

**मिथिला** में जब विवाह की रस्में आरम्भ होती हैं. तो मंगल गीतों के बीच अचानक किसी वृद्ध महिला के स्वर में विद्यापति का पद गूँज उठता है। सावन की पहली वर्षा हो, गाँव के शिवालय में आरती हो या राधा-कृष्ण की झाँकी-हर अवसर पर उनकी वाणी सहज ही सुनाई देती है। सात शताब्दियों बाद भी यदि किसी कवि की रचनाएँ लोकजीवन की साँसों में बसती हों तो वह केवल साहित्यकार नहीं, संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन जाता है। महाकवि विद्यापति ऐसे ही अमर रचनाकार हैं। उन्होंने प्रेम को मानवीय संवेदना दी, भक्ति को आत्मीयता और लोकभाषा को साहित्य की गरिमा प्रदान की। इसलिए वे केवल मैथिली के कवि नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य की उस परम्परा के प्रतिनिधि हैं जहाँ शब्द लोक और जीवन के बीच से जन्म लेते हैं।

### एक दृष्टि में : महाकवि विद्यापति

| | |
|---|---|
| **जन्म** | : लगभग 1380 ई. (प्रचलित मत) |
| **जन्मस्थान** | : बिस्फी, मिथिला (वर्तमान मधुबनी, बिहार) |
| **पिता** | : गणपति ठाकुर |
| **माता** | : हंसिनी देवी |
| **आश्रयदाता** | : राजा शिव सिंह |
| **प्रमुख भाषाएँ** | : संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली |
| **प्रमुख कृतियाँ** | : पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका पुरुष-परीक्षा, गंगावाक्यावली, दानवाक्यावली, लिखनावली |
| **लोकप्रिय उपाधि :** | मैथिल कोकिल |

आज भी मिथिला के मंगलगीतों, सावन के लोकस्वरों और शिव-पार्वती तथा राधा-कृष्ण की आराधना में विद्यापति के पद सहज ही गूँज उठते हैं। यही वह क्षण है, जब कोई कवि साहित्य के इतिहास से आगे बढ़कर लोकस्मृति का हिस्सा बन जाता है।

कल्पना कीजिए-मिथिला की वह भूमि जहाँ न्यायशास्त्र की गंभीर चर्चाएँ होती थीं, जहाँ संस्कृत विद्वानों का सम्मान था, वहीं लोकगीतों की मधुर ध्वनि भी खेत-खलिहानों तक गूँजती थी। इसी सांस्कृतिक वातावरण में विद्यापति का व्यक्तित्व विकसित हुआ। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी का मिथिला केवल राजनीतिक सत्ता का केन्द्र नहीं था, बल्कि न्यायशास्त्र, दर्शन, संगीत और साहित्य की समृद्ध भूमि भी था। इसी सांस्कृतिक परिवेश में बिस्फी ग्राम में विद्यापति का जन्म हुआ। उनके पिता गणपति ठाकुर विद्वान एवं राजपंडित थे। विद्वत्ता और सांस्कृतिक संस्कार उन्हें पारिवारिक परिवेश से ही प्राप्त हुए।

बाद में वे मिथिला के प्रसिद्ध शासक राजा शिव सिंह के राजकवि बने। राजा शिव सिंह तथा रानी लखिमा देवी कला और साहित्य के संरक्षक थे। लोकश्रुतियों में विद्यापति और रानी लखिमा का उल्लेख बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ मिलता है। इतिहास इन कथाओं की पूरी पुष्टि भले न करे, किन्तु लोकस्मृति में उनका स्थान आज भी सुरक्षित है। यही लोकविश्वास किसी कवि की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है।

### 'देसिल बयना': भाषा का स्वाभिमान

विद्यापति स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। यदि चाहते तो केवल संस्कृत में ही रचना करते, पर उन्होंने लोकभाषा को अपना काव्य-माध्यम बनाया। यह निर्णय किसी भाषा के विरोध में नहीं, बल्कि जनभाषा के सम्मान में था। उनका प्रसिद्ध कथन-

**''देसिल बयना सब जन मिट्ठा।''**

भारतीय भाषाओं की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ है-अपनी मातृभाषा में कही गई बात सबसे अधिक मधुर और आत्मीय होती है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के सम्मान का उद्घोष है। इसी विचार ने मैथिली को साहित्य की ऊँचाइयों तक पहुँचाया। विद्यापति ने सिद्ध कर दिया कि महान साहित्य किसी भाषा की प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसकी संवेदना से जन्म लेता है।

विद्यापति के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रेम और भक्ति विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। राधा-कृष्ण के प्रेम का उन्होंने ऐसा चित्रण किया है जिसमें सौन्दर्य भी है, विरह भी है, प्रतीक्षा भी है और आत्मिक समर्पण भी।

**''सखि, की पूछसि अनुभव मोर।''**

इतने कम शब्दों में इतनी गहरी अनुभूति व्यक्त कर देना ही विद्यापति की काव्य-प्रतिभा का परिचायक है। यहाँ प्रेम का वर्णन नहीं, उसका अनुभव बोलता है। इसी कारण उनकी पदावली केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि गाई भी जाती है। जब कविता लोगों के कंठ में बस जाती है, तभी वह सच्चे अर्थों में कालजयी बनती है।

यदि विद्यापति के काव्य में राधा-कृष्ण का प्रेम है, तो दूसरी ओर शिव और शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा भी है। उनके देवी-स्तुति पद आज भी मिथिला के मंदिरों में उसी श्रद्धा से गाए जाते हैं।

**''जय जय भैरवि, असुर भयाउनि''**

इस एक पंक्ति में विद्यापति की भक्ति-साधना का विराट स्वर सुनाई देता है। यहाँ देवी केवल आराधना की अधिष्ठात्री नहीं, बल्कि लोकजीवन की आशा, साहस

और संरक्षण की प्रतीक बनकर उपस्थित होती हैं। विद्यापति की भक्ति में आडम्बर नहीं, आत्मसमर्पण है। कर्मकाण्ड नहीं, लोकविश्वास की सहज अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार, उनके शिव-पदों में कैलास के महादेव किसी दूरस्थ देवता के रूप में नहीं, बल्कि लोक के अपने आराध्य के रूप में उपस्थित होते हैं। विद्यापति और **उगना** की कथा मिथिला की सबसे प्रसिद्ध लोककथाओं में से एक है। लोकविश्वास के अनुसार, भगवान शिव अपने परम भक्त विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उगना नामक सेवक का रूप धारण कर उनके घर में रहने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि उनका काव्य केवल प्रेम और श्रृंगार तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना का भी एक अमूल्य दस्तावेज है।

विद्यापति की रचनाधर्मिता केवल पदावली तक सीमित नहीं थी। इतिहास, नीति, समाज, धर्म और शासन-जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुष-परीक्षा, गंगावाक्यावली, दुर्गाभक्तितरंगिणी, दानवाक्यावली और लिखनावली उनकी बहुमुखी प्रतिभा की सशक्त साक्षी हैं।

विद्यापति की लोकप्रियता मिथिला तक सीमित नहीं रही। बंगाल की वैष्णव भक्ति धारा ने उन्हें आदरपूर्वक अपनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके पदों को गाते थे। विद्यापति की मैथिली शैली से प्रेरित होकर बंगाल में ब्रजबुली नामक साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जिसका प्रयोग कई बंगाली कवियों ने किया। नेपाल, असम और उड़ीसा की साहित्यिक परम्पराओं पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह किसी क्षेत्रीय कवि की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व की पहचान है।

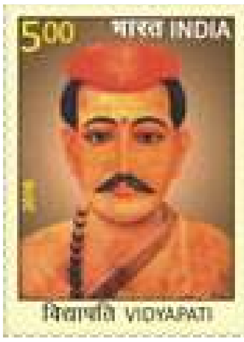


महाकवि विद्यापति की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करते हुए भारत सरकार के डाक विभाग ने वर्ष 2016 में 'पर्सनैलिटी सीरीज: बिहार' के अंतर्गत उनके सम्मान में रु. 5 मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट न केवल उनकी अमर साहित्य-साधना का राष्ट्रीय अभिनंदन है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना में उनके स्थायी स्थान का भी प्रतीक है।

जीवन के अंतिम चरण में महाकवि विद्यापति का मन वैराग्य और ईश्वर-भक्ति की ओर उन्मुख हो गया था। लोकश्रुति के अनुसार, महाप्रयाण से पूर्व वे गंगास्नान के लिए निकले और उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर गंगा स्वयं उनके समीप आ पहुँचीं। यह प्रसंग आज भी मिथिला की लोकस्मृति में उनकी अद्वितीय भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मिथिला की लोकपरंपरा में प्रचलित पद के अनुसार उनका महाप्रयाण कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। यद्यपि उनके निधन का सटीक वर्ष विवादित है, तथापि इसमें कोई मतभेद नहीं कि महाकवि विद्यापति ने अपने काव्य, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से भारतीय साहित्य को ऐसी अमर विरासत प्रदान की, जो आज भी समान श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण की जाती है।

## आज के समय में विद्यापति

आज तकनीक ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक निकट ला दिया है, किन्तु इसी के साथ मनुष्य अपनी भाषा, लोकपरम्पराओं और सांस्कृतिक जड़ों से भी दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में विद्यापति हमें याद दिलाते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति की आत्मा होती है। प्रेम केवल भाव नहीं, बल्कि

मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला सेतु है। और भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और आत्मिक शांति का मार्ग है।

इसीलिए विद्यापति आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाते हैं, लोकसंस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं और यह विश्वास जगाते हैं कि सच्चा साहित्य समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि और अधिक जीवंत होता जाता है।

सात सौ वर्षों का समय किसी भी साहित्यकार की परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त होता है। अनेक कवि अपने युग में लोकप्रिय रहे, पर समय के साथ स्मृतियों से ओझल हो गए। विद्यापति का महत्व इसीलिए विशिष्ट है कि वे आज भी केवल साहित्य के इतिहास में नहीं, लोकजीवन में उपस्थित हैं। उनकी रचनाएँ हमें यह स्मरण कराती हैं कि आधुनिकता का अर्थ अपनी भाषा, संस्कृति और परम्परा से विमुख होना नहीं है। जो समाज अपनी लोकभाषा और लोकस्मृति का सम्मान करता है, वही अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख पाता है। यही किसी कवि की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसकी रचनाएँ पुस्तकों से निकलकर लोकजीवन का हिस्सा बन जाएँ। शताब्दियों बाद भी विद्यापति के पद मिथिला के लोकगीतों, मंदिरों और जनजीवन में उसी आत्मीयता से गूँज रहे हैं। समय अनेक कवियों को इतिहास में दर्ज कर देता है, किन्तु लोग केवल उन्हीं को अपने कंठ में बसाते हैं जो उसके सुख-दुःख का स्वर बन जाते हैं। महाकवि विद्यापति ऐसे ही अमर कवि हैं, जिनकी वाणी आज भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना में उसी मधुरता और आत्मीयता के साथ स्पंदित है।

**महाकवि विद्यापति केवल मिथिलाक नहि, सम्पूर्ण भारतीय साहित्यक अमूल्य धरोहर छथि। हुनकर काव्यमें प्रेम, भक्ति, प्रकृति आ मानव जीवनक अनुपम समन्वय देखबा लेल भेटैत अछि। हुनकर काव्य सदिखन प्रेम, भक्ति आ सांस्कृतिक चेतनाक दीप बनि पीढ़ीसँ पीढ़ी धरि आलोक फैलाबैत रहत।**

**सादर समर्पित**
**महाकवि विद्यापति आ मिथिलाक समृद्ध सांस्कृतिक विरासतकें।**

**गार्गी मिश्रा**
**पुस्तकालय सहायक**

# दरभंगा

रामबाग परिसर, दरभंगा

दरभंगा मैप

| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| **प्रमंडल** | दरभंगा |
| **जिला मुख्यालय** | दरभंगा |
| **क्षेत्रफल** | 2279 वर्ग किमी० |
| **जनसंख्या** | 39,37,385<br>पुरुष-20,59,949 एवं<br>महिला-18,77,436 |
| **शहरी निकाय** | दो (2) दरभंगा नगर निगम एवं बेनीपुर नगर परिषद |
| **अनुमंडल** | तीन (3) दरभंगा सदर, बेनीपुर एवं बिरौल |
| **प्रखंडों की संख्या** | 18 |
| **पंचायतों की संख्या** | 324 |
| **गाँवों की संख्या** | 1204 |
| **लोकसभा क्षेत्र** | दरभंगा |
| **विधानसभा क्षेत्र** | दस (10) - कुशेश्वर स्थान (अ.जा.), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले |

# दरभंगा : मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी

बिहार के उत्तरी भाग में स्थित दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र है। अपनी समृद्ध परंपराओं, राजवंशीय विरासत, विद्वता, कला और लोकजीवन के कारण इसे ''मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी'' कहा जाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इस क्षेत्र ने शिक्षा, साहित्य, संगीत, धर्म और सामाजिक जीवन के विविध आयामों को समृद्ध किया है। अतीत की गौरवशाली विरासत और वर्तमान की विकासोन्मुखी संभावनाओं के मध्य दरभंगा आज भी उत्तर बिहार के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

वैदिक साहित्य के अनुसार मिथिला क्षेत्र का संबंध प्राचीन विदेह राज्य से रहा है। विदेह के राजा मिथि के नाम पर इस भूभाग को मिथिला कहा जाने लगा। रामायणकाल में राजा जनक और माता सीता के कारण इस क्षेत्र को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। विदेह राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र वैशाली गणराज्य का अंग बना तथा बाद में मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त साम्राज्यों का हिस्सा रहा।

मध्यकाल में ओईनवार राजाओं के शासन में मिथिला की कला, साहित्य और संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति तथा नागार्जुन जैसे विद्वानों की परंपरा ने इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान प्रदान की। ओईनवार शासकों ने मिथिला की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सोलहवीं शताब्दी में दरभंगा राज के उदय के साथ इस क्षेत्र ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश किया।

## दरभंगा राज

दरभंगा का इतिहास दरभंगा राज के उल्लेख के बिना अधूरा है। खंडवाला वंश द्वारा स्थापित दरभंगा राज ब्रिटिश काल में देश की सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित जमींदारियों में गिना जाता था। लगभग छह शताब्दियों तक इस राजवंश ने मिथिला की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को दिशा प्रदान की।

महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराजा रमेश्वर सिंह और महाराजा कामेश्वर सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह आधुनिक शिक्षा और जनकल्याण के समर्थक थे, जबकि महाराजा रमेश्वर सिंह भारतीय संस्कृति, संस्कृत और दर्शन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। महाराजा कामेश्वर सिंह ने अपनी संपत्तियों का बड़ा भाग शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समर्पित किया। वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जिन परिसरों में संचालित होते हैं, वे कभी दरभंगा राज की संपत्तियों का हिस्सा थे।

वास्तव में, दरभंगा राज केवल एक जमींदारी व्यवस्था नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और लोककल्याण की एक सशक्त परंपरा का प्रतीक था। इसके संरक्षण में मिथिला की कला, साहित्य, संगीत और स्थापत्य को नई ऊँचाइयाँ मिलीं, जिनकी झलक आज भी जिले की सांस्कृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्थलों में देखी जा सकती है।

## कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत

दरभंगा की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक वैभव से ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य परंपरा से भी है। यहाँ के महल, मंदिर, तालाब और सांस्कृतिक संस्थान मिथिला की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। दरभंगा राज द्वारा निर्मित रामबाग परिसर, आनंद बाग (लक्ष्मीविलास पैलेस) और नरगौना पैलेस भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य शैलियों के सुंदर समन्वय के उदाहरण हैं। विशेष रूप से नरगौना पैलेस को देश की प्रारंभिक भूकंपरोधी इमारतों में गिना जाता है। श्यामा माई मंदिर मिथिला क्षेत्र का प्रमुख आस्था केंद्र है, जबकि हराही पोखर और गंगासागर तालाब दरभंगा की विशिष्ट तालाब संस्कृति को दर्शाते हैं।

दरभंगा मिथिला चित्रकला की समृद्ध परंपरा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक प्रतीकों से सुसज्जित मिथिला पेंटिंग आज विश्वभर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी जैसी कलाकारों ने इस कला को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। इसी प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध दरभंगा घराना परंपरा ने भी संगीत जगत को विशिष्ट पहचान प्रदान की है। इसके साथ ही सामा-चकेवा, झिझिया और जट-जटिन जैसे लोकपर्व और लोकनृत्य मिथिला के सामाजिक जीवन और लोक संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। विशेष रूप से सामा-चकेवा भाई-बहन के स्नेह और प्रकृति से जुड़ी लोकपरंपराओं का प्रतीक है, जबकि झिझिया नृत्य नवरात्र के अवसर पर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मिथिला का एक विशिष्ट लोकनृत्य है। ये परंपराएँ आज भी दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को सजीव बनाए हुए हैं।

सामाजिक परंपराओं की दृष्टि से सौराठ सभा का विशेष महत्व है। दरभंगा के निकट स्थित सौराठ गाँव में सदियों से आयोजित होने वाली यह सभा मैथिल ब्राह्मण समाज की एक अनूठी वैवाहिक परंपरा का प्रतीक रही है। सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी बना हुआ है।

## भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य

दरभंगा जिला बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इस जिले का गठन 1 जनवरी 1875 को हुआ। इससे पूर्व यह तिरहुत प्रशासनिक इकाई का हिस्सा था। लगभग 2,279 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा तथा पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले स्थित हैं। वर्तमान में जिले का प्रशासनिक ढाँचा तीन अनुमंडलों और अठारह प्रखंडों में विभाजित है। बागमती, कमला तथा अधवारा समूह की नदियाँ इस क्षेत्र की जीवनरेखा हैं। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है।

धान, गेहूँ, मक्का तथा दलहनी फसलों के साथ-साथ मखाना, मछली पालन और डेयरी व्यवसाय स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथिला मखाना आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त होने के बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। यह केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि मिथिला क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है।

प्रमुख पर्यटन एवं विरासत स्थल

### दरभंगा राज किला ( रामबाग परिसर )

दरभंगा राज किला, जिसे रामबाग परिसर के नाम से भी जाना जाता है, मिथिला की राजसी विरासत और स्थापत्य वैभव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दरभंगा राज परिवार द्वारा विकसित यह विशाल परिसर कभी प्रशासनिक, आवासीय तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लाल ईंटों से

निर्मित भवन, विस्तृत प्रांगण और पारंपरिक स्थापत्य शैली इसकी ऐतिहासिक गरिमा को दर्शाते हैं। यद्यपि समय के साथ इसके कई भाग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, फिर भी यह परिसर दरभंगा राज के गौरवशाली अतीत, कला-प्रेम और सांस्कृतिक समृद्धि का सजीव साक्ष्य बना हुआ है। इतिहासकारों, शोधार्थियों तथा पर्यटकों के लिए यह स्थल आज भी विशेष आकर्षण का केंद्र है।

## नरगौना पैलेस

नरगौना पैलेस दरभंगा राज की अंतिम प्रमुख इमारतों में गिना जाता है। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद महाराजा कामेश्वर सिंह ने आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक के आधार पर इसका निर्माण कराया था। वर्तमान में इस परिसर का उपयोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य शैलियों का सुंदर समन्वय इसकी विशेषता है।

## आनंद बाग ( लक्ष्मीविलास पैलेस )

महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह द्वारा निर्मित आनंद बाग पैलेस दरभंगा राज की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। कभी इसके चारों ओर दुर्लभ पौधों और वृक्षों से युक्त विशाल उद्यान हुआ करते थे। वर्तमान में यह परिसर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय है और शिक्षा तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।

## श्यामा माई मंदिर

श्यामा माई मंदिर मिथिला क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। वर्ष 1933 में महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा अपने पिता महाराजा रमेश्वर सिंह की स्मृति में निर्मित यह मंदिर माँ काली के श्यामा स्वरूप को समर्पित है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसका निर्माण महाराजा रमेश्वर सिंह की चिता-स्थली पर किया गया था, जो इसे देश के अन्य काली मंदिरों से अलग पहचान प्रदान करती है। नवरात्र, दीपावली और काली पूजा के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुँचते हैं। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्व और विशिष्ट स्थापत्य के कारण श्यामा माई मंदिर दरभंगा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मिथिला की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।

## चंद्रधारी संग्रहालय

दरभंगा स्थित चंद्रधारी संग्रहालय मिथिला की कला, संस्कृति और पुरातात्विक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्ष 1957 में स्थापित इस संग्रहालय का नाम प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय चंद्रधारी जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ प्राचीन मूर्तियों, दुर्लभ पांडुलिपियों, सिक्कों, शस्त्रों, ताम्रपत्रों तथा मिथिला की लोक संस्कृति से संबंधित अनेक कलात्मक वस्तुओं का समृद्ध संग्रह सुरक्षित रखा गया है। विशेष रूप से पाल और सेन काल की मूर्तियाँ तथा मिथिला चित्रकला से संबंधित सामग्री इसकी प्रमुख धरोहर हैं। यह संग्रहालय न केवल इतिहास और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए भी ज्ञान और आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है।

## कुशेश्वरस्थान पक्षी विहार

दरभंगा जिले के पूर्वी भाग में स्थित कुशेश्वरस्थान पक्षी विहार बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक है। यह प्राकृतिक अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों की मौसमी उपस्थिति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शीतकाल के दौरान साइबेरिया तथा अन्य देशों से आने वाले अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ आश्रय ग्रहण करते हैं, जिससे यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों, प्रकृति पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय महत्व के कारण कुशेश्वरस्थान पक्षी विहार दरभंगा की प्रमुख प्राकृतिक धरोहरों में गिना जाता है।

## अहिल्या स्थान, कमतौल

दरभंगा जिले के कमतौल के निकट स्थित अहिल्या स्थान मिथिला का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थस्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या को भगवान श्रीराम ने यहीं शापमुक्त किया था। इसी कारण यह स्थल रामायणकालीन स्मृतियों और लोक आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर और गौतम ऋषि आश्रम श्रद्धालुओं के बीच विशेष श्रद्धा का केंद्र हैं। रामनवमी और अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मिथिला की

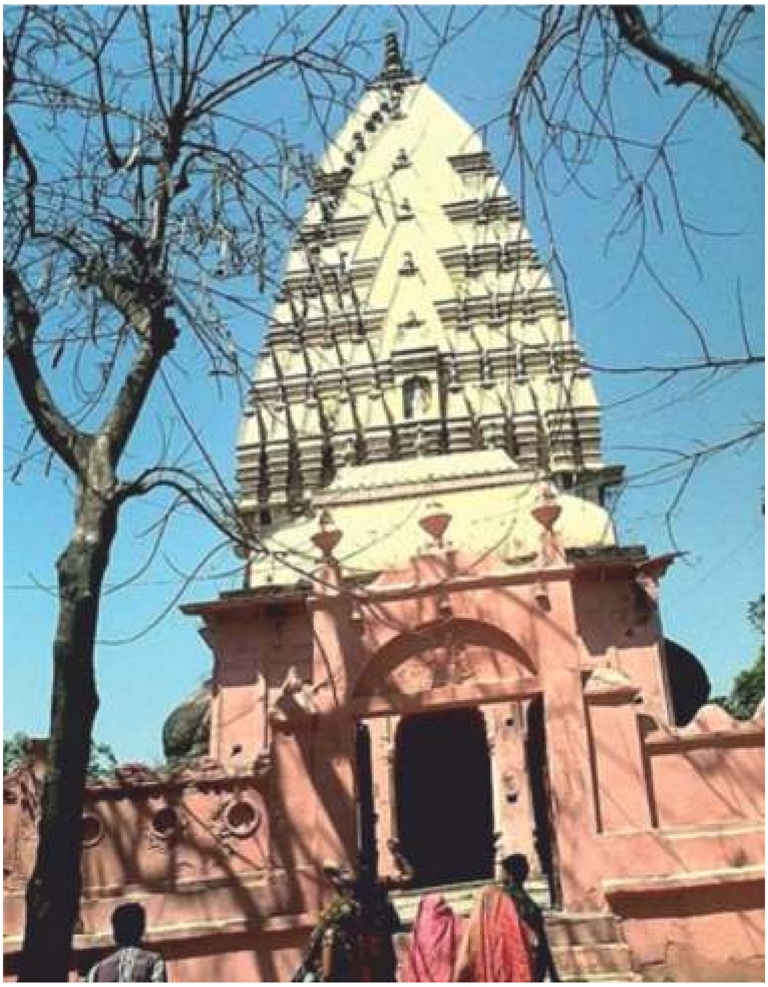

धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अहिल्या स्थान का विशेष स्थान है।

## महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह संग्रहालय

दरभंगा स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह संग्रहालय मिथिला की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहरों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों, दुर्लभ पांडुलिपियों, ताम्रपत्रों, सिक्कों, चित्रकृतियों तथा दरभंगा राज परिवार से संबंधित अनेक ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह सुरक्षित रखा गया है। मिथिला चित्रकला और क्षेत्रीय लोक संस्कृति से जुड़ी सामग्री भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह संग्रहालय शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा पर्यटकों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र है। यह मिथिला की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## प्रमुख व्यक्तित्व

दरभंगा और मिथिला क्षेत्र ने अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और राजनेताओं को जन्म दिया है। महाकवि विद्यापति की साहित्यिक परंपरा आज भी इस क्षेत्र की पहचान है। आधुनिक काल में **महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराजा रमेश्वर सिंह और महाराजा कामेश्वर सिंह के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र, मिथिला चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार सीता देवी और गंगा देवी तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की दरभंगा घराना परंपरा से जुड़े अनेक संगीतज्ञों** ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है।

## आधुनिक दरभंगा

आज दरभंगा उत्तर बिहार के प्रमुख शैक्षणिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक और संपर्क केंद्रों में से एक के रूप में तेजी से उभर रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने इसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। वर्ष 2020 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के अंतर्गत नागरिक उड्डयन सेवाओं के प्रारंभ होने के बाद दरभंगा हवाई अड्डे ने क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था को नई गति प्रदान की है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों से सीधी हवाई सेवाओं ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन गतिविधियों को उल्लेखनीय बढ़ावा दिया है। प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी नई परियोजनाएँ तथा बढ़ती आर्थिक गतिविधियाँ दरभंगा को उत्तर बिहार के विकास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी दरभंगा ने उल्लेखनीय पहल की है। कादिराबाद क्षेत्र में बिहार की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, जिसे बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (BREDA) के सहयोग से विकसित किया गया है। लगभग 2 मेगावाट क्षमता वाला यह संयंत्र जलाशय की सतह पर स्थापित सौर पैनलों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस अभिनव परियोजना की विशेषता यह है कि जलाशय का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में यह परियोजना न केवल दरभंगा, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है तथा हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की नई सोच और प्रगतिशील दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करती है।

दरभंगा केवल एक जिला नहीं, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक चेतना, विद्वता और लोकजीवन का जीवंत प्रतीक है। प्राचीन विदेह की ज्ञान परंपरा, ओईनवार शासकों और दरभंगा राज की गौरवशाली विरासत, मिथिला चित्रकला की वैश्विक पहचान, सौराठ सभा की सामाजिक परंपरा, लोकनृत्यों की समृद्ध धारा और मिथिला मखाना की आर्थिक महत्ता इसे बिहार के सबसे विशिष्ट जिलों में स्थान प्रदान करती हैं। अतीत की समृद्ध विरासत और वर्तमान की विकासोन्मुखी संभावनाओं के बीच दरभंगा आज भी मिथिला की आत्मा और उत्तर बिहार के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

**धनंजय कुमार**
**शोध संदर्भ सहायक**

# दरभंगा जिला के लोकसभा सदस्य

**श्री गोपाल जी ठाकुर**

जन्म तिथि : 15 अक्टूबर, 1969
17वीं एवं 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
रेलवे की स्थायी समिति के सदस्य
रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य
निर्वाचन क्षेत्र-दरभंगा
भाजपा

## 18वीं बिहार विधानसभा में दरभंगा जिले से निर्वाचित सदस्य (क्षेत्र संख्यावार)

**श्री अतिरेक कुमार**

नि० क्षे०-कुशेश्वर स्थान
( अ.जा. )
क्षे.सं.-78
जद ( यू )

**श्री सुजीत कुमार**

नि० क्षे०-गौड़ाबौराम
क्षे.सं.-79
भाजपा

**श्री विनय कुमार चौधरी**

नि० क्षे०-बेनीपुर
क्षे.सं.-80
जद ( यू )

**सुश्री मैथिली ठाकुर**

नि० क्षे०-अलीनगर
क्षे.सं.-81
भाजपा

**श्री राजेश कुमार मंडल**

नि० क्षे०-दरभंगा ग्रामीण
क्षे.सं.-82
जद ( यू )

**श्री संजय सरावगी**

नि० क्षे०-दरभंगा
क्षे.सं.-83
भाजपा

**श्री राम चन्द्र प्रसाद**

नि० क्षे०-हायाघाट
क्षे.सं.-84
भाजपा

**श्री मदन सहनी**

नि० क्षे०-बहादुरपुर
क्षे.सं.-85
जद ( यू )

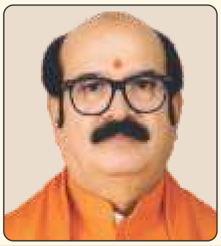

**श्री मुरारी मोहन झा**

नि० क्षे०-केवटी
क्षे.सं.-86
भाजपा

**श्री जिवेश कुमार**

नि० क्षे०-जाले
क्षे.सं.-87
भाजपा

# पर्यावरण संरक्षण

# जनभागीदारी से हरित भारत की ओर

एक पेड़ माँ के नाम

## ''एक पेड़ माँ के नाम''

**''एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।''**

**–प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी**

विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान का शुभारंभ किया। यह केवल एक वृक्षारोपण अभियान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को एक सूत्र में जोड़ने वाला राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का आग्रह किया। इस सरल किंतु भावनात्मक संदेश ने पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है।

# भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में की गयी सामूहिक कार्रवाई

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'एक पेड माँ के नाम' अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधे लगाने का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह लक्ष्य 25 सितंबर 2024 को, निर्धारित समय सीमा से 5 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया।

**5 लाख से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड**

22 सितंबर 2024 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन प्रादेशिक सेना की 128वीं ईन्फैंट्री बटालियन और पारिस्थितिक कार्य बल ने मात्र एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

**रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान के तहत–**

स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को 15 लाख पेड़ लगाने की राष्ट्रव्यापी पहल की घोषणा की। यह प्रयास भारतीय सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनसीसी) और अन्य संबद्ध निकायों के माध्यम से किया गया, जिससे एक हरित और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान मिला।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपना वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देशभर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7,000 पेड़ लगाए गए हैं।

आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने अपनी माता की स्मृति में आंवलें का पौधा लगाकर इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान को कृषि क्षेत्र में जनभागीदारी से जोड़ते हुए देशभर के कृषि संस्थानों, अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए।

कोयला मंत्रालय ने ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान को खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय पुनर्संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगे बढ़ाया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने 25 जुलाई 2024 को अभियान का शुभारंभ किया, जिसके प्रथम दिवस ही सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला एवं लिग्नाइट कंपनियों द्वारा 10 लाख से अधिक पौधे लगाए एवं वितरित किए गए।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान के अंतर्गत ''एक पेड़ माँ के नाम'' वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण और जनसहभागिता को प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। मिशन-LiFe (Lifestyle for Environment), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरित ऊर्जा को बढ़ावा, जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता इसी व्यापक दृष्टि के प्रमाण हैं। ''एक पेड़ माँ के नाम'' इस सोच का स्वाभाविक विस्तार है, जिसमें प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण का सक्रिय भागीदार बनता है।

आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ''एक पेड़ माँ के नाम'' जैसा अभियान आशा का संदेश देता है। यह नागरिकों को बताता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। एक पौधा लगाना सरल कार्य है, किंतु उसका संरक्षण भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है।

इस अभियान की विशेषता यह है कि इसे केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर समाज के प्रत्येक वर्गों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योगों, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने इसे अपना अभियान बनाया। पर्यावरण संरक्षण को जन-भागीदारी का स्वरूप देने का यही प्रयास इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है।

''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस विकास-दृष्टि को अभिव्यक्त करता है, जिसमें प्रकृति, संस्कृति और प्रगति एक-दूसरे के पूरक हैं। यह अभियान भारतीय जीवन-मूल्यों को आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान से जोड़ते हुए जनभागीदारी का नया अध्याय प्रस्तुत करता है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के सम्मान में एक वृक्ष लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प निभाए, तो यह अभियान केवल हरित आवरण बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक स्वच्छ, संतुलित, समृद्ध और सतत भारत के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

# तकनीकी बढ़ावा: ``एक पेड़ मां के नाम'' ऐप

केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए एक अभिनव मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया। जिसके माध्यम से नागरिक अपने पौधारोपण का विवरण, स्थान और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। यह पहल डिजिटल तकनीक और जनभागीदारी के प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही स्थानीय प्रजातियों के पौधों के रोपण और उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि वृक्षारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर सके।

# हरित बिहार का आधार
## 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

बिहार ने भी इस राष्ट्रीय अभियान में उल्लेखनीय सहभागिता निभाई। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सामाजिक संगठनों ने व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए। गंगा के तटीय क्षेत्रों, विद्यालय परिसरों, सार्वजनिक स्थलों तथा ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सामाजिक चेतना का स्वरूप प्रदान किया। इससे न केवल हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास हुआ, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता भी मजबूत हुई।

बिहार में इस अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रेम कुमार (वर्तमान माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा) ने विभिन्न जिलों की 'पर्यावरण यात्रा' के दौरान लोगों से अपनी माता के नाम एक पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि "पेड़ और माँ दोनों जीवनदायिनी हैं। दोनों ही हमारा पोषण करती हैं।" उन्होंने वृक्षों की पर्यावरणीय उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कार्बन अवशोषण, वायु शुद्धिकरण, मृदा संरक्षण तथा जैव विविधता के संवर्धन में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। **पर्यावरण मंत्री** रहते हुए उन्होंने लगभग चार करोड़ पौधे लगाने के मेगा अभियान का नेतृत्व किया।

वृक्षारोपण अभियान को समाज के विभिन्न वर्गों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इसकी गूंज सरकारी कार्यालयों से आगे बढ़कर विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कृषि एवं अनुसंधान संस्थानों तक पहुंची। केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय **(CUSB)** के कृषि विभाग ने जागरूकता संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को 'एक पेड़ माँ के नाम' का संकल्प दिलाया।

बिहार में ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान की सफलता का आधार राज्य सरकार की पूर्ववर्ती पर्यावरणीय पहल ''जल-जीवन-हरियाली'' भी रही है। वर्ष 2019 में प्रारंभ इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ने जल संरक्षण, हरित आवरण के विस्तार, वर्षा जल संचयन, आहर-पइन, तालाबों एवं जलस्रोतों के पुनर्जीवन तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री

श्री सम्राट चौधरी ने जे.पी. गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत एक लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए नागरिकों से अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जागरूकता वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का आधार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2005 से राज्य में 43 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे बिहार के हरित आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

# गया जी में वृक्षारोपण और हरित भविष्य का महासंकल्प

प्रभावती अस्पताल परिसर में स्थित बरगद के पेड़ का दसवां जन्म दिवस हर्षोल्लास एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य महानुभाव

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए गया जी में विभिन्न स्थानों पर भव्य पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों से पौधे लगाकर समाज को पर्यावरण सुरक्षा का सकारात्मक संदेश दिया तथा उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य का दृढ़ संकल्प लिया।

माननीय अध्यक्ष ने मगध वन प्रमंडल द्वारा ब्रह्मवन पार्क में आमजनों के साथ पौधे लगाए और जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गया संग्रहालय परिसर और विष्णुपद मॉडल थाना परिसर में भी पौधारोपण कर हरित भविष्य का संकल्प लिया। इस दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का विशेष आहवान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृक्ष हमारी धरोहर है, आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर प्रकृति संरक्षण का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए।

विश्व पर्यावरण दिवस पर गया जी के प्रभावती अस्पताल परिसर में डॉ० प्रेम कुमार, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के नेतृत्व में एक अनूठी पहल के तहत बरगद के पेड़ का 10वां जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अनोखे कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में डॉ० प्रेम कुमार द्वारा वृक्षों के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज के सभी लोगों से अधिकाधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया।

कार्यक्रमों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार और हमारे जीवन का मुख्य आधार है। स्वच्छ वायु, संतुलित पर्यावरण और अगली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि हमारा कर्तव्य केवल पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण एवं संवर्धन की भी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

ब्रह्मवन पार्क में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय

आज का यह अवसर हम सभी को प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। माननीय अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में गया जी के नागरिकों ने यह प्रण लिया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी उचित देखभाल करेंगे। यह सामूहिक प्रयास निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण-मुक्त वातावरण प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।

ब्रह्मवन पार्क में वृक्षारोपण करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय

विष्णुपद मॉडल थाना परिसर में वृक्षारोपण करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य महानुभाव

गया संग्रहालय परिसर में वृक्षारोपण करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य महानुभाव

# 'बीट द हीट'
## प्रकृति क साथ संतुलित जीवन

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम में 'बीट द हीट' कार्यक्रम का आयोजन खुशीग्राम फाउंडेशन एवं रेडियंस मीडिया के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने जलवायु परिवर्तन को वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएँ हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन अपनाने का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता है।

इस अवसर पर बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव, माननीय सदस्यगण श्री राजकुमार राय, श्री रोमित कुमार, श्रीमती अनीता, श्रीमती छोटी कुमारी तथा श्रीमती सोनम रानी की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही, पटना जू के निदेशक श्री हेमंत पाटिल, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े स्वयंसेवकों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।

माननीय अध्यक्ष ने उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन संरक्षक डॉ. प्रभात चंद्र गुप्ता ने तापमान वृद्धि एवं वृक्षारोपण पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जबकि बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष श्री भारत ज्योति ने जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर अपने विचार रखे।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों तथा बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों की सहभागिता रही। 'बीट द हीट' ने यह संदेश दिया कि यदि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भारत का निर्माण संभव है। यह आयोजन पर्यावरण के प्रति सामूहिक चेतना और सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ।

विधान सभा ऑडिटोरियम में 'बीट द हीट' कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

**राजीव रंजन कुमार**
प्रशाखा पदाधिकारी

# पर्यावरण संरक्षण में गांव की भूमिका

किसी भी देश की मिट्टी महत्वपूर्ण संसाधन होती है। उसका स्थानीय पर्यावरण से काफी गहरा संबंध होता है। देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, मिट्टी ही उसकी जीविका का प्रमुख साधन है। एक अनुमान के अनुसार देश में 45 हजार पेड़-पौधों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं, उसमें 35 हजार ऐसी स्थानीय प्रजातियाँ है, जो दुनिया के दूसरे देशों में नही पायी जाती।

पर्यावरण शब्द 'परि और आवरण' को जोड़कर बना है। अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमारा "पर्यावरण" हैं। सभ्यता सस्कृति के विकास के क्रम में मानव ने अपनी गतिविधियों से हमेशा प्रकृति को प्रभावित करने का प्रयास किया है।

पर्यावरण धरती का सुरक्षा कवच है, जो पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी को जीवन प्रदान करता है। पर्यावरण के अन्तर्गत पूरा जीव-मंडल समाहित है, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल शामिल है।

लेकिन काल परिवर्तन के साथ-साथ मानव प्रकृति के संबंध बिगड़ते चले गये। वर्तमान में मानव ही धरती के पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जारी है। जंगलों की कटाई से कई प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वर्षाकाल में बाढ़ का संकट, गर्मी में हीट वेव एवं ठंढ में शीतलहर का कहर मानव जीवन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इन सब कारणों से वर्तमान मे, धरती की जैव विविधता पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।

बिहार अपनी विशेषताओं के कारण हमेशा देश एवं दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। उसकी विशेषताएं सभी को आकर्षित करती है। बिहार की तमाम विशेषताओं के बावजूद कुछ निर्दिष्ट कमियां है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से की कृषि मानसून पर निर्भर है। भारी बारिस से बाढ़ और कम बारिस से सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा होती रहती है। अगर प्रदेश के 'जल भंडार' पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो विकास की गति में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है।

शहर का लगभग पूरा वातावरण प्रदूषण की चपेट में आ चुका है, जबकि तुलनात्मक रूप से हमारे गाँव की स्थिति अच्छी है। वन विनाश, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की भयावह स्थिती बढ़ती जा रही है।

इन समस्याओं का निदान के लिए हमें गाँवों पर आधारित सभ्यता में विश्वास रखना होगा तथा सारे आर्थिक नियोजन का आधार गाँवों को बनाना होगा। गाँवों में वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। तालाबों, कुओं और पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग को कम कर जैविक एवं टिकाऊ कृषि को अपनाना मिट्टी की उर्वरता तथा जैव-विविधता के लिए लाभकारी है।

ग्राम पंचायतें स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के कम उपयोग तथा वर्षा जल-संचयन जैसे अभियानों को जनभागीदारी से प्रभावी बना सकती हैं। सामुदायिक वन, चारागाह और नदी-तालाबों की रक्षा भी ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है।

गाँवों की परंपरागत जीवनशैली में प्रकृति के साथ संतुलन का भाव निहित रहा है। यदि इस ज्ञान को आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी से जोड़ा जाए, तो गाँव हरित, स्वच्छ और टिकाऊ विकास के केंद्र बन सकते हैं।

**नन्द किशोर सिंह**
**संपादन सलाहकार**

# नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बढ़ती संभावनाएं

बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार 19 जून, 2026 को पटना के ज्ञान भवन सभागार में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) आयोजित आईसीसी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2026 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सौर ऊर्जा के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति- निर्माताओं, सोलर डेवलपर्स, ईपीसी कंपनियों, निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों एवं निवेशकों को संबोधित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बढ़ती संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।

माननीय विधान सभा अध्यक्ष, डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा आयोजित यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त मंच है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सरकार, उद्योग और समाज को एक साझा मंच पर लाकर नवाचार, संवाद और निवेश के नए अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बिहार भी इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है और राज्य के हजारों परिवार सौर ऊर्जा को अपनाकर न केवल अपनी बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि हरित ऊर्जा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों, सरकारी प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी से बिहार स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में व्यापक वृद्धि तथा वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

कार्यक्रम में परिवहन एवं ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के सचिव एवं इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार सिन्हा एवं श्री अविनाश कुमार राय के अलावा आई वाई आर ओ के मैनेजिंग निदेशक, के.के.सिंह, डबन सोलर के निदेशक श्री नीरज कुमार सिंह के अलावा देश के अन्य राज्यों के कंपनियों के उद्योगपति एवं उद्यमी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में भाग लेने वाली विभिन्न कंपनियों, निर्माताओं, ईपीसी पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं तकनीकी सहयोगियों की सराहना करते हुए माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने कहा कि उनके नवाचार, गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता से ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने विशेष रूप से बिहार में निवेश और तकनीकी विकास के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में कहा कि बिहार अब केवल ऊर्जा उपभोक्ता राज्य नहीं रह गया है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और सौर उद्योग के क्षेत्र में उभरते हुए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर बिहार और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

**संदीप कुमार**
**संपादन सलाहकार**

# 12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

## बिहार विधान सभा में विशेष योग एवं ध्यान कार्यक्रम

योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन ही सुखी समाज की आधारशिला है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन स्थापित करने की जीवन-पद्धति है। जब हम योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हम स्वयं को प्रकृति के अधिक निकट पाते हैं और स्वस्थ जीवन की दिशा में अग्रसर होते हैं।

21 जून, 2026 को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, बिहार विधान सभा और ब्रह्माकुमारीज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विशेष योग एवं ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विधान सभा परिसर स्थित **औषधीय वाटिका में प्रात: 6:00 से 7:00 बजे तक संपन्न हुआ, जहाँ अनेक लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया।**

> योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक व आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान की अमूल्य धरोहर है।
>
> **डॉ० प्रेम कुमार,**
> माननीय अध्यक्ष

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अपने संबोधन में डॉ. प्रेम कुमार ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति

का अमूल्य उपहार है, जिसने विश्व को स्वस्थ व सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि योग हमारे मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक व आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है।

नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति में आत्मविश्वास, एकाग्रता, सकारात्मक सोच और कार्यक्षमता का विकास होता है। बदलती जीवनशैली और तनाव के बीच योग स्वस्थ जीवन का सशक्त माध्यम है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य, संयम और अनुशासन सिखाता है। नियमित योग हमें ऊर्जावान बनाने के साथ अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

डॉ. प्रेम कुमार ने युवाओं से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का विशेष आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का संकल्प होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता, विधायक श्री रामानंद मंडल एवं श्री राजेश कुमार मंडल, विधान पार्षद श्री जीवन कुमार, ब्रह्माकुमारीज संस्था के समन्वयक श्री बी. के. संजय, योग प्रशिक्षक श्री बी. के. साक्षी, राजयोगिनी बी. के. अनीता एवं बिहार विधान सभा के प्रभारी सचिव श्रीमती पूनम सिन्हा सहित सभा सचिवालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने उपस्थित होकर योगाभ्यास किया। अंत में, माननीय अध्यक्ष, डॉ. कुमार ने सभी से योग अपनाकर 'स्वस्थ बिहार और स्वस्थ भारत' के निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

**बिहार विधान सभा परिसर में आयोजित 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह**

**प्रभाकर कुमार पंकज**
प्रधान आप्त सचिव

# नशामुक्त समाज : सामूहिक संकल्प

## विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा **"विश्व तंबाकू निषेध दिवस-2026"** के अवसर पर बिहार विधान सभा स्थित सभागार में दिनांक 05 जून, 2026 को एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी कार्यक्रम में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए।

समारोह के दौरान तंबाकू सेवन के गंभीर दुष्प्रभावों, स्वस्थ जीवनशैली के महत्व और एक नशामुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों और आमजनों द्वारा एकजुट होकर तंबाकू एवं अन्य सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से आजीवन दूर रहने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

**राकेश कुमार-II**
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

# समाचार पत्रों की नजर से...

## Prem discusses Amarnath Yatra preps with J&K LG

Madan Kumar

Patna: Bihar Legislative Assembly Speaker Prem Kumar, who is on a five-day visit to Jammu & Kashmir, met Lieutenant Governor Manoj Sinha at Raj Bhawan in Srinagar on Saturday and discussed contemporary issues, including preparations for the Shri Amarnath Yatra scheduled to begin on July 3.

A communique from the Speaker's office said Sinha briefed Kumar in detail on arrangements for the pilgrimage, security measures for devotees, facilities along the route and the extensive administrative management being put in place.

Following the meeting, Kumar said the yatra would ... devotees to the holy cave shrine managed by the Shri Amarnathji Shrine Board. The cave, located in the Himalayas at an altitude of 3,888 metres, houses the naturally formed ice shivling, symbolising Lord Shiva, he said.

Kumar praised the Jammu & Kashmir administration's efforts to ensure the ...

Bihar assembly Speaker Prem Kumar with J&K LG Manoj Sinha in Srinagar on Saturday

## जागरूक, शिक्षित और संगठित समाज ही प्रगति और विकास का आधार : डॉ. प्रेम

## बीट द हीट कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पटना : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधानसभा विस्तार भवन के सेंट्रल हॉल में खुशीराम फाउंडेशन बिहार विधानसभा के सहयोग से बीट द हीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण को गंभीर चुनौती बताते हुए पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। खुशीराम फाउंडेशन के अजीत कुमार, बिहार राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ... बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला तथा बिहार जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष भारत ज्योति ने भी विचार रखे।

## प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम ने देशवासियों को किया प्रेरित : डॉ. प्रेम कुमार

## State assembly gets dedicated court room for privilege cases

Madan Kumar

Bihar assembly Speaker Prem Kumar inaugurates the privilege court room

## लोक सेवा समर्पण, निष्ठा और जनकल्याण का उत्कृष्ट उदाहरण : डॉ. प्रेम कुमार

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष का संदेश

## बीपीएससी में सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुए सभी 2027 अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ... को उनकी इस विशेष उपलब्धि के लिए विशेष बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में हमारी बेटियों का शानदार प्रदर्शन, विशेष रूप से टॉप 100 में 45 और टॉप 10 में 5 महिला अभ्यर्थियों का शामिल होना, नए और प्रगतिशील बिहार की एक सुखद तस्वीर प्रस्तुत करता है।

## विस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को दी जन्मदिन की बधाई

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित की है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु का जीवन संघर्ष, सादगी, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तीकरण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए निरंतर कार्य किया है। उनका व्यक्तित्व देश के करोड़ों नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

## एनर्जी समिट में बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने पर हुआ मंथन

दो दिवसीय आयोजन

## मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के स्वर्णिम अध्याय : डॉ प्रेम कुमार

## अनुग्रह नारायण सिन्हा की जयंती पर स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि

पटना। बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे अनुग्रह नारायण सिन्हा की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अनुग्रह नारायण सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माताओं में अग्रणी थे और 'बिहार विभूति' के रूप में उनकी पहचान व्यापक रही है। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा।

## विस अध्यक्ष ने महाधिवक्ता को दी बधाई

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता ... को महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामना दी है। भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में उनकी सेवाएं और पटना हाईकोर्ट में उनका लंबा व समृद्ध पेशेवर अनुभव इस गरिमामयी पद की गरिमा को और बढ़ाएगा।

## पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ाएं जागरूकता : प्रेम

पटना/विशेष संवाददाता। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा कि यह दिन हमें पर्यावरण सम्मत जीवन-शैली अपनाने का संदेश देता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। कहा कि पर्यावरण दिवस की ...

## राजनीतिक सम्मान का आधार है समरस संगठित समाज : डॉ प्रेम कुमार

## विस समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नये दिशा-निर्देश

अध्ययन दौरे पर जाने वाले कर्मियों के लिए भी निर्देश

## योग जीवन पद्धति का अमूल्य उपहार : स्पीकर

## भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श आज भी समाज को कर रहे प्रेरित : डॉ. प्रेम कुमार

## लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित कराएं : डॉ. प्रेम कुमार

## लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण: डॉ. प्रेम कुमार

# समाचार पत्रों की नजर से...

## जम्मू-कश्मीर प्रवास के दौरान उमर अब्दुल्ला से मिले डॉ. प्रेम कुमार

## संदेश

डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

## जनप्रतिनिधियों के समर्पण पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर

## आर्थिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. जगन्नाथ मिश्र का योगदान अविस्मरणीय : डॉ. प्रेम कुमार

बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर किया नमन

## ...और अग्रसर : प्रेम

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्र भारत के दीर्घकालिक प्रधानमंत्री होने का गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित करने पर उन्हें आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक कीर्तिमान नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी विदेश नीति ने भारत को विश्वगुरु की ओर अग्रसर किया है।

## श्वेत क्रांति से सशक्त हो रहा ग्रामीण भारत

# दुग्ध उत्पादन को बढ़ा कर किसान बनें आत्मनिर्भर : डॉ प्रेम

## तंबाकू मुक्त बिहार के लिए कड़ा कानून आवश्यक : प्रेम

पटना : विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम हाल में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। 'तंबाकू मुक्त बिहार : युवा, सरकारी संस्थानों और आध्यात्मिक संगठनों की भूमिका' विषयक कार्यशाला में मुख्य संबोधन विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार का रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए मजबूत कानून, प्रभावी प्रवर्तन, जागरूकता और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। (राब्यू)

## मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के प्रतीक : डॉ प्रेम

# निर्विरोध : विधान परिषद के सभी दस प्रत्याशी विजयी

जदयू-भाजपा के चार-चार, लोजपा (रा) और राजद के एक-एक जीते

खड़गे समेत कई प्रत्याशी निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे

## विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता प्रभातफेरी के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष

# तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक : डॉ. प्रेम

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होगा नया कीर्तिमान

## विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने दी बधाई

10 जून को स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव

## ट्रेनिंग देने के लिए पांच संस्थानों का किया गया चयन

# एमएलए-एमएलसी लेंगे एआइ की ट्रेनिंग

निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी अधिक प्रभावी

## जन-आकांक्षाओं से विकसित भारत 2047 की ओर

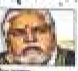

अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

नीलेश कुमार
डी.ई.ओ.

## मैं लड़की हूँ

विलोक रंजन
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

बुलन्द हौसलों की छटा बिखेरती,
भीगे पल्कों में स्वप्न उकेरती,
दुर्बलताओं में तेज फेरती,
विघ्नों से भी लड़ सकती हूँ,
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
अंगारों में राह बनाकर,
तूफानों से भी टकराकर,
विपदाओं को दूर भगाकर,
कर्त्तव्य-पथ पर बढ़ सकती हूँ,
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
सूरज-सी शोला बरपानेवाली,
शीतलता चाँद-सी बरसानेवाली,
बनके सावन हर्षानेवाली,
घनघोर घटा-सी उमड़ सकती हूँ,
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
उम्मीदों की ज्योति बनकर,
समता की जागृति लाकर,
हर ओर नारी शक्ति फैलाकर,
नव-समाज सुधड़ सकती हूँ,
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
हक की खातिर लड़ना अपनी शान है,
परहित की रक्षा करना ही पहचान है,
'लड़की हूँ' अपना यही अभिमान है,
रिपु से डटकर अड़ सकती हूँ।
मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।

## कैसे हो उत्थान देश का...

नन्द किशोर सिंह
संपादन सलाहकार

कंचन पर है न्याय बिकते
और बिकते ईमान,
इंसानों के शोणित पीकर
प्यास बुझाते हैं इंसान,
कैसे हो उत्थान देश का...
कैसे जीवन-नौका पार,
पंख थके, कैसे उड़ जाऊ,
विस्तृत नील गगन में,
क्षितिज पे खड़ा तू, जमीं पास मैं हूँ।
जिधर दृष्टि जाती, छवि मुस्कुराती
मधुर याद आती, वही विभावरी
जीवन-अंधेरा, सबेरा दिखाती
कैसे हो उत्थान देश का...
कैसे जीवन नौका पार।

# बिहार विधान सभा में ``विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष'' का शुभारंभ

संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, कार्यकुशलता एवं संस्थागत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बिहार विधान सभा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिनांक 22 जून, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के कर-कमलों द्वारा विधान सभा उप-भवन के प्रथम तल पर नवनिर्मित 'विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष' का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। यह नवीन और आधुनिक सुविधा विधान सभा के विधायी कार्यों के प्रभावी एवं सुचारू संचालन में एक अहम भूमिका निभाएगी।

इस गरिमामयी अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय संविधान के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 194 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडलों, उनके सदस्यों और विभिन्न समितियों को विशेष अधिकार, शक्तियाँ तथा उन्मुक्ति प्रदान की गई हैं। यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी माननीय सदस्य दबाव रहित होकर, पूरी स्वतंत्रता और गहरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

इस नवनिर्मित 'विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष' का उद्घाटन संसदीय लोकतंत्र की महान मर्यादा और विधायी स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस कक्ष के माध्यम से अब माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों की पूरी तरह से निष्पक्ष न्यायिक सुनवाई हो सकेगी तथा त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने में काफी सहूलियत होगी।

इस भव्य और ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद और श्री अरुण मांझी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अतिरिक्त, विधान सभा की प्रभारी सचिव श्रीमती पूनम सिन्हा के साथ-साथ विधान सभा सचिवालय के कई वरीय पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी इस विशेष कार्यक्रम के साक्षी बने।

**राजीव रंजन**
शोध संदर्भ सहायक

# एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केन्द्र हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास

गया जी के खिजरसराय में रु. 170 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक 'एम.एस. एम.ई. प्रौद्योगिकी केंद्र' का जून 2026 में भूमि पूजन एवं शिलान्यास भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी के साथ बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए। यह केंद्र प्रतिवर्ष 7000 से अधिक युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देगा और 1000 से अधिक एम.एस.एम.ई. इकाइयों को आधुनिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे पूरे मगध क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

# नैनीताल भ्रमण: धार्मिक दर्शन और आत्मीय स्वागत

मां नयना देवी जी के पूजन-अर्चना करते हुए माननीय अध्यक्ष

नैनीताल अतिथिगृह में स्थानीय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी द्वारा माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार को सम्मानित करते हुए

श्री नीम करौली महराज जी (कैंची धाम) के पूजन-अर्चना करते हुए माननीय अध्यक्ष

जून 2026 में नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान, माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने आदिशक्ति माँ नयना देवी के पावन धाम और परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज जी के पवित्र समाधि स्थल पर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन-अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने पूरे प्रदेश और देशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश-वंदना की।

नैनीताल अतिथिगृह पहुंचने पर स्थानीय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी द्वारा माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार का आत्मीय स्वागत व स्नेहपूर्ण अभिनंदन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विशेष सम्मान, स्नेह और शुभकामनाओं के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बिहार में पर्यटन के विकास के संबंध में विचार विमर्श किया।

## जम्मू-कश्मीर भ्रमण

जम्मू-कश्मीर प्रवास के दौरान बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से शिष्टाचार भेंट की। इस सौहार्दपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन विस्तार और आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों व सुरक्षा पर सार्थक चर्चा हुई। डॉ. कुमार ने आत्मीय स्वागत के लिए उप राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

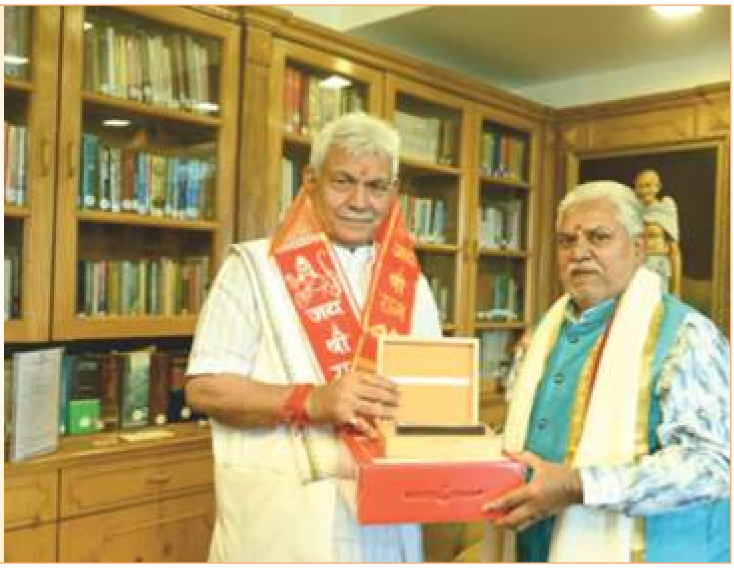

जम्मू-कश्मीर प्रवास के दौरान बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला से आत्मीय शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण वार्ता में दोनों नेताओं के बीच पर्यटन, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

जम्मू स्थित ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संध्या आरती में सम्मिलित होकर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने देश की सुख-समृद्धि व बिहार के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना की। डॉ. कर्ण सिंह जी की पुत्रवधू एवं प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉ. ऋतु सिंह की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

गया जी के हरिदास सेमिनरी में आयोजित 'सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स' की 64वीं वार्षिक आमसभा में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए। इस दौरान व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय आर्थिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई तथा व्यापारिक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।

गया जी के मानपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विभाग द्वारा 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत 'प्राकृतिक खेती जिला कार्यशाला' का सफल आयोजन किया गया। किसानों के हित में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए। इस दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि, खेती की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल भूमि की उर्वरता को संरक्षित करती है, बल्कि यह किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और टिकाऊ कृषि व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

दिनांक-03 जून, 2026 को नवादा स्थित इंटर कॉलेज मैदान में प्रभात खबर के 'अपराजिता महिला सम्मान समारोह' में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।

नई दिल्ली में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार ने केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई।

मधुबनी जिले के फुलपरास स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया स्मारक पहुंचने पर बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार का सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने सभी के स्नेह व समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए जनसेवा, सामाजिक समरसता और क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

गया जी खेल परिसर के निकट सामुदायिक भवन में ''वंदे मातरम्'' टीम द्वारा स्लम बस्ती के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस सराहनीय कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बच्चों से मिलकर उनका उत्साहवर्द्धन किया और बेहतर शिक्षा हेतु हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

3 जून, 2026 को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर, माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गयाजी के गांधी मैदान में युवा खिलाड़ियों के साथ साइकिलिंग की। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें खेल, स्वास्थ्य और अनुशासन के प्रति प्रेरित किया तथा स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और 'फिट इंडिया' का संदेश दिया।

18 जून, 2026 को गया जी के गांधी मैदान में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर '118वीं उमेश वर्मा बिहार राज्य अंतर-जिला बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026' का भी शुभारंभ हुआ। यह आधुनिक खेल अवसंरचना युवाओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा निखारने का सशक्त मंच प्रदान करेगी।

बामेती, पटना में 'प्रकृति का उपहार, किसान का सत्कार' थीम पर आयोजित तीन दिवसीय आम महोत्सव में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा व विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उत्कृष्ट प्रतिभागियों को चेक सौंपकर पुरस्कृत किया। विविध आमों के प्रदर्शन से सजा यह मंच किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी रहा।

# ‘मन की बात’ : प्रधानमंत्री

## [ आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का महामंत्र ]

**28 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 135वें एपिसोड की असाधारण उपलब्धियों और जनभागीदारी की शक्ति को प्रमुखता से रेखांकित किया।**

**रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** भारत में स्वदेशी सी-295 विमानों का निर्माण, तीन नए युद्धपोतों (दूनागिरी, संशोधक, अग्रय) का जलावतरण और स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण।

**योग में भारत का परचम:** विश्व योगासन चौंपियनशिप में भारत द्वारा 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करना।

**जनभागीदारी से संकट का सामना:** वैश्विक स्थिति को देखते हुए जनता द्वारा सोने की खरीद कम करना, कार-पूलिंग अपनाना और प्राकृतिक खाद का उपयोग बढ़ाना।

**बीमा योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा:** नांदेड़ के एक परिवार द्वारा 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराना, साथ ही सरकार की 20 रुपये और 436 रुपये वाली जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं के फायदों की चर्चा।

**अंधविश्वास मिटाकर पक्षी संरक्षण:** असम की जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन के नेतृत्व में ‘हरगिला आर्मी’ (स्थानीय महिलाओं) द्वारा दुर्लभ हरगिला पक्षी का बचाव।

**खेलों में नई पहल:** नागालैंड में बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए ‘बेबी लीग’ और महिलाओं की प्रतिभा निखारने के लिए ‘फुटसल लीग’ (इंडोर फुटबॉल) की सफलता।

**परंपरा और तकनीक का संगम:** नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन ‘शास्त्रार्थ’ परंपरा की वापसी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में AI व डेटा साइंस (B.Tech) की पढ़ाई शुरू होना।

**विदेशों में गूंजते वैदिक मंत्र:** डोमिनिकन गणराज्य में स्पेनिश भाषियों के समूह ‘ब्रह्म कमल डोमिनिकाना’ द्वारा श्री सूक्तम और श्री रुद्रम जैसे वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ।

**प्राकृतिक धरोहर और इको-ब्रिक्स:** मेघालय के प्राकृतिक ‘रूट ब्रिज’ (जड़ों के पुल) को यूनेस्को धरोहर में शामिल करने का प्रयास और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में महिलाओं द्वारा प्लास्टिक कचरे से ईंटें (इको ब्रिक्स) बनाना।

**इको-फ्रेंडली उत्सव और जल संचय:** आगामी गणेश उत्सव में केवल स्थानीय कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग का आग्रह और ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत बारिश की हर बूंद बचाने की अपील।

# विधान प्रबोधनी

## बिहार विधान सभा

*विधान प्रबोधनी* **पत्रिका के जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर अंकों में शामिल किए जाने वाले आलेख हैं-**

1. प्रतियोगी एवं अकादमिक परीक्षाओं में पेपर लीक की चुनौतियाँ और समाधान।
2. अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ : रोकथाम, सुधार एवं जन-जागरूकता की आवश्यकता।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा : डिजिटल युग की नई चुनौतियाँ।
4. बिहार की खेल नीति : उपलब्धियाँ, संभावनाएँ और भविष्य की चुनौतियाँ।
5. बिहार में औद्योगिकीकरण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अवसर और चुनौतियाँ।